

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2010—आश्विन 9, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2010

क्र. एफ-20-32-2008-बी-ग्यारह.—मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 अन्तर्गत संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदन की प्रक्रिया के लिये समय-सीमा निर्धारण हेतु बनाये गये नियम (प्रारूप) पर जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने की दृष्टि से निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है:—

सूचना

नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 20 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 15 और 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम

की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

नियमों का प्रारूप

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तब कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21, सन् 2008);
- (ख) “शीर्ष स्तरीय समिति” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित की गई शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति;
- (ग) “संयुक्त आवेदन प्रारूप” जो संक्षेप में सी. ए. एफ. के रूप में विनिर्दिष्ट है, से अभिप्रेत है, वह प्रारूप जिसमें अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित तथा इन नियमों से संलग्न प्रारूप “क” में विनिर्दिष्ट विभिन्न विभागों/ एजेन्सियों से संबंधित अनेक भाग/ प्रारूप समाविष्ट हों;
- (घ) “संबंधित एजेन्सी” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग के अधीन काम कर रहा कोई निगम/ मण्डल या ऐसी कोई सत्ता जो अधिनियम के अधीन निवेशकों के प्रस्ताव पर विभिन्न बाधा-निवारण करती हो/ सहमतियां देती हो;
- (ङ) “संबंधित विभाग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का कोई विभाग जो अधिनियम के अधीन निवेशकों के प्रस्ताव पर विभिन्न बाधा-निवारण करता हो/सहमतियां देता हो;
- (च) “जिला स्तरीय समिति” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा धारा 9 के अधीन गठित की गई जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति;
- (छ) “स्थानीय निकाय” से अभिप्रेत है यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत या मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत;
- (ज) “मध्यप्रदेश विद्युत् वितरण कंपनी” से अभिप्रेत है, विद्युत् के फुटकर प्रदाय की गतिविधियां चलाने के प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत मध्यप्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व की कम्पनी;
- (झ) “स्व प्रमाणन” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्रारूप ‘क’ में दिए गए संयुक्त आवेदन प्रारूप में, स्वयं आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का प्रमाणीकरण;

- (ज) "राज्य स्तरीय समिति" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित की गई राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति;
- (ट) "समय-सीमा" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न उपाबंध एक में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से उतने कार्य दिवस, जिनके भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाना है;

(2) अन्य समस्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं.

3. **संयुक्त आवेदन-पत्र.**—(1) संयुक्त आवेदन-पत्र जो कि संक्षेप में सी.ए.एफ. के रूप में निर्दिष्ट है, ऐसे प्ररूपों का सेट है, जिसमें उन विभागों/एजेन्सियों से संबंधित विभिन्न प्ररूपों/ भागों का समावेश होगा, जिनको कि आवेदक अधिनियम के अधीन आवेदन करना चाहता है. सी.ए.एफ. का भाग 'क' परियोजना की सामान्य जानकारी से संबंधित है, जिसमें आवेदक से परियोजना की आधारभूत जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है. भाग 'ख' में वे प्ररूप हैं जो संबंधित विभागों/ अभिकरणों से आवश्यक बाधा-निवारण/ सहमतियां प्राप्त करने हेतु विहित किए गए हैं.

(2) सी.ए.एफ. का पूर्ण मुद्रित सेट अधिसूचित नोडल एजेन्सी के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा. नोडल एजेन्सी की वेबसाइट से भी सी.ए.एफ. डाउनलोड किया जा सकेगा.

(3) ऐसे आवेदन जो सी.ए.एफ. के भाग नहीं है, ऐसे बाधा-निवारण के लिए सुसंगत विधियों या नियमों के अधीन निर्वाधन संबंधित विभाग/ अभिकरण द्वारा विहित प्ररूप में सी.ए.एफ. के साथ प्रस्तुत किए जा सकेंगे. ये आवेदन सी.ए.एफ. के भाग के रूप में माने जाएंगे.

(4) जहां संबंधित विभाग/ अभिकरण द्वारा सहमति/ बाधा-निवारण/ अनुमोदन के लिए कोई आवेदन विहित नहीं है, वहां आवश्यक जानकारी तथा संलग्नकों के साथ सादे कागज पर ऐसे आवेदन भी सी.ए.एफ. के भाग के रूप में होंगे.

4. **फीस.**—(1) इस अधिनियम के अधीन सुविधाएं प्रदाय करने हेतु नोडल एजेन्सियां आवेदकों से सी.ए.एफ. के लिए आवेदन प्रभार ले सकती हैं. आवेदन फीस मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग की सम्यक सहमति से ट्रायफेक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी.

(2) आवेदन फीस के अतिरिक्त नोडल एजेन्सियां संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) के साथ संबंधित विभागों/ एजेन्सियों द्वारा लागू प्रभार्य, आवश्यक फीस पृथक् से प्राप्त करेंगी (सी.ए.एफ.).

5. **प्रक्रिया.**—(1) कोई निवेशक, जो परियोजना स्थापित करने का आशय रखता है या जो योजना है, उसकी वर्तमान इकाई में विस्तार, विविधता, आधुनिकीकरण करने की योजना बना रहा है और जो संबंधित विभागों/ एजेन्सियों से सहमति/ बाधा-निवारण प्राप्त करने की वांछा रखता है, वह संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) पर आवेदन कर सकेगा.

(2) सम्यक् रूप से भरे हुए संयुक्त आवेदन-पत्र तथा अतिरिक्त आवेदन-पत्र यदि कोई हों, यथास्थिति, जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत किए जाएंगे.

(3) प्रत्येक आवेदक सम्यक् रूप से तैयार किया गया संयुक्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय विहित प्ररूप में स्वप्रमाणन प्रस्तुत करेगा. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वप्रमाणन विभागों/ एजेन्सियों द्वारा बाधा-निवारण/ अनुमोदन/ अनुज्ञा जारी करने और प्रदान करने के प्रयोजन के लिए स्वीकार्य होगा.

(4) नामनिर्दिष्ट नोडल एजेन्सी आवेदन की संवीक्षा करेगी तथा संबंधित विभागों/ एजेन्सियों को तीन कार्य दिवस के भीतर प्ररूप के सुसंगत भाग को अग्रेषित करेगी. नोडल एजेन्सी से आवेदन-पत्र के ऐसे भाग के प्राप्त होने पर उपाबंध-एक में यथाविनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर संबंधित विभाग/एजेन्सी उसका निराकरण करेंगे.

(5) संबंधित विभाग/एजेन्सी प्रत्येक आवेदन के संबंध में लिए गए विनिश्चय के संबंध में समय-समय पर, संबंधित नोडल एजेन्सी को सूचित करेगी। यदि कोई आवेदन संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा निरस्त किया जाता है तो यह नोडल एजेन्सी को सूचित करते हुए, उचित कारणों के साथ उपाबंध एक में विनिर्दिष्ट विहित समय-सीमा के भीतर, आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

(6) यदि आवेदक द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो संबंधित विभाग/एजेन्सी सात दिन के भीतर उसे पूर्ण करने हेतु आवेदक को सूचित करते हुए नोडल एजेन्सी को भी सूचित करेंगे। संबंधित विभाग/एजेन्सी आवेदक से अतिरिक्त आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने हेतु भी कह सकता है। बशर्ते ऐसी समस्त अतिरिक्त जानकारी, एक बार में ही देने के लिए कहा जाए।

(7) नामनिर्दिष्ट नोडल एजेन्सी समुचित समिति के समक्ष उन मामलों की जानकारी प्रस्तुत करेगी जिनका कि विहित समय-सीमा का अवसान होने पर, संबंधित विभाग/एजेन्सी ने विहित समय-सीमा के भीतर निराकरण नहीं किया है। समुचित समिति उपयुक्त विनिश्चय करेगी जो नोडल एजेन्सी द्वारा निवेशकों, संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को संसूचित किए जाएंगे। समिति विभागों/एजेन्सी को मामले के निराकरण में किए गए विलंब के लिए जिम्मेदारी भी नियत कर सकेगी तथा ऐसे विलंब के लिए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने की सिफारिश भी करेगी।

(8) यदि कोई निवेशक कोई विशिष्ट/ विशेष सुविधा चाहने को वांछा करता है तथा जो सी.ए.एफ. के अन्तर्गत नहीं आता है, संबंधित नोडल एजेन्सी को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा। नोडल एजेन्सी ऐसा प्रस्ताव संबंधित विभाग/एजेन्सी को तीन कार्य दिवस के भीतर अप्रेषित करेगी और पन्द्रह दिन में उनकी राय मांग सकेगी। नोडल एजेन्सी उपयुक्त सुविधाओं के लिए विभाग/एजेन्सी से प्राप्त राय के साथ संबंधित समिति के समक्ष ऐसा प्रस्ताव लाएगी। नोडल एजेन्सी समिति का अंतिम विनिश्चय आवेदक को संसूचित करेगी।

6. **मॉनीटरिंग.**—(1) नोडल एजेन्सी उस सम्पूर्ण प्रक्रिया की मॉनीटरिंग करेगी जिसके द्वारा संबंधित विभागों/एजेन्सियों द्वारा आवेदक को सहमति/ बाधा-निवारण प्रदान किए जा रहे हैं।

(2) चूंकि नोडल एजेन्सी आवेदक को सुविधा प्रदान करने हेतु एकल खिड़की बाधा-निवारण है। अतएव, उनके लिए आवश्यक है कि वे संबंधित विभागों/ एजेन्सियों द्वारा अपनायी गई पूरी प्रक्रिया को मॉनीटर करे, ताकि समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके तथा अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।

(3) आवेदक या संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा कोई समस्या या कठिनाई का अनुभव करने की दशा में उसे नोडल एजेन्सी द्वारा उपयुक्त समिति के समक्ष लाया जाएगा।

7. **अपील.**—(1) जिला/राज्य स्तरीय समिति के विनिश्चय से व्यथित होने पर या असन्तुष्ट रहने पर आवेदक उससे उच्च समिति को विचारण के लिए अपील फाईल कर सकेगा। शीर्ष स्तरीय समिति के विनिश्चय से व्यथित आवेदक उसके विनिश्चय पर पुनर्विचार हेतु शीर्ष स्तरीय समिति को पुनः अनुरोध कर सकेगा। उससे उच्च स्तरीय समिति को अपील तथा शीर्ष स्तरीय समिति द्वारा उसके विनिश्चय पर पुनर्विचार हेतु अनुरोध विनिश्चय की सूचना के 30 दिन के भीतर किया जा सकेगा।

(2) शीर्ष स्तरीय समिति तथा राज्य स्तरीय समिति ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर सकेगी, जो उसे राज्य स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति द्वारा क्रमशः समुचित विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएं, यथास्थिति, अपील या पुनर्विचार के लिए विकल्प केवल एक बार ही उपलब्ध रहेगा।

8. **सामान्य.**—(1) प्रत्येक नोडल एजेन्सी इस अधिनियम के अधीन की सुविधाओं के लिए आवेदक के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने हेतु एक अधिकारी को नाम से नामनिर्दिष्ट करेगी।

(2) आवेदक संबंधित विभागों/एजेन्सियों को, आवश्यक बाधा-निवारण/ सहमति प्राप्त करने हेतु सीधे आवेदन भी कर सकता है। ऐसे आवेदनों की प्राप्ति पर संबंधित विभाग/एजेन्सी इन नियमों के अधीन यथा विहित समय-सीमा के भीतर उनका निराकरण करेंगे।

(3) इन नियमों के निर्वचन से कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में उसे शीर्ष स्तरीय समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा तथा समस्त संबंधितों पर बन्धनकारी होगा।

(4) समस्त संबंधित विभाग/एजेन्सी आवेदनों का समय से तथा प्रभावी निराकरण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे.

(5) संयुक्त आवेदन-पत्र में, यदि आवश्यक हो, तो समय-समय पर, वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग, संशोधन करने/ या उपांतरण करने के लिए प्राधिकृत होगा.

प्ररूप-क
(नियम-3 देखिए)

अनुदेशों सहित संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.)
अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक (1)	विशिष्टियां (2)
1.	अनुदेश
2.	आवेदक का पत्र
3.	संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) का प्ररूप
(1)	भाग-क सामान्य जानकारी
(2)	भाग-ख
(एक)	सी.ए.एफ.-1 पर्यावरण संबंधी बाधा-निवारण
(दो)	सी.ए.एफ.-2 (क) तथा (ख) एल.टी. तथा एच.टी. हेतु ऊर्जा संयोजन
(तीन)	सी.ए.एफ.-3 कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन स्थान का अनुमोदन तथा भवन निर्माण करने की अनुज्ञा के लिए.
(चार)	सी.ए.एफ.-4 भू-आवंटन
(पांच)	सी.ए.एफ.-5 जल आपूर्ति
(छह)	सी.ए.एफ.-6 प्राकृतिक संसाधनों से जल निकालने (खींचने) के आवंटन हेतु आवेदन
(सात)	सी.ए.एफ.-7 भवन निर्माण हेतु स्थानीय निकायों से अनुज्ञा
1.	घोषणा
2.	अभिस्वीकृति

संयुक्त आवेदन-पत्र

अनुदेश

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदन की समय-सीमा में प्रक्रिया) नियम, 2010 के अधीन संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) का प्ररूप प्रस्तुत करने हेतु

कृपया सी.ए.एफ. प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित अनुदेश सावधानी पूर्वक देखें:—

1. ऐसे निवेशक, जो नई परियोजना स्थापित करना चाहते हैं या जो उनके विद्यमान उद्योग का विस्तार/ उसमें विधिवत् आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव करते हैं तथा जो विभिन्न विभागों/ एजेन्सियों से सहमति/ बाधा-निवारण चाहते हैं, तो वे संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) में आवेदन कर सकेंगे.
2. सी.ए.एफ. में दो भाग समाविष्ट हैं, अर्थात् भाग "क" तथा भाग "ख", भाग "क" में आवेदक से परियोजना की सामान्य तथा मूलभूत जानकारी उपलब्ध कराना अपेक्षित है, भाग "ख" में आवेदक से संबंधित विभागों से आवश्यक बाधा-निवारण/ सहमति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत करने की अपेक्षा है.
3. 10 करोड़ रुपये का एक निश्चित निवेश प्रस्तावित करने वाले आवेदकों से संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) विनिर्दिष्ट नोडल एजेन्सी अर्थात् उस जिले/ क्षेत्र के जहां परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डी.टी.आई.सी.) को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा.
4. 10 करोड़ रुपये से अधिक का एक निश्चित निवेश प्रस्तावित करने वाले आवेदकों से विनिर्दिष्ट नोडल एजेन्सी अर्थात् मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.पी. ट्रायफेक) ए.व्ही.एन. टॉवर, 192 एम. पी. नगर, भोपाल-462011 को संयुक्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा.
5. संयुक्त आवेदन-पत्र का पूरा मुद्रित सेट रुपये 250/- के भुगतान करने पर, नोडल एजेन्सियों अर्थात् मध्यप्रदेश ट्रायफेक/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डी.टी.आई.सी.) से प्राप्त किया जा सकता है. संयुक्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत (सी.ए.एफ.) वेबसाइट www.mpitrifac.org अथवा www.mpindustry.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है.
6. संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) के साथ आवेदक से निम्नलिखित आवेदन शुल्क का भुगतान अपेक्षित होगा:—

अनुक्रमांक (1)	परियोजना में प्रस्तावित निश्चित पूंजी निवेश (2)	आवेदन शुल्क रुपयों में (3)
1.	रुपये 1.00 करोड़ तक	500
2.	रुपये 1.00 करोड़ से अधिक रुपये 10.00 करोड़ तक	2000
3.	रुपये 10.00 करोड़ से अधिक रुपये 25.00 करोड़ तक	5000
4.	रुपये 25.00 करोड़ से अधिक	10000

7. पैरा-6 में वर्णित आवेदन शुल्क के अतिरिक्त संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) के साथ संबंधित विभागों/एजेन्सियों द्वारा प्रभारित विभिन्न बाधा-निवारणों के लिए आवश्यक शुल्क पृथक् से देना होगा. शुल्क के रूप में बैंकर्स चेक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट/ चालान (जो लागू हो) संयुक्त आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए, किन्तु संबंधित विभागों/ एजेन्सियों के पक्ष में ही देय होगा.

8. आवेदकों से उन्हीं आवेदन-पत्रों को भरकर प्रस्तुत करना अपेक्षित है जो उनकी परियोजना के लिए लागू है (संयुक्त आवेदन-पत्र में सम्मिलित उन सभी आवेदन-पत्रों को भरा जाना आवश्यक नहीं है जो सी.ए.एफ. का भाग हैं).
9. आवेदक, संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) विनिर्दिष्ट अधिकारी को एम. पी. ट्रायफेक अथवा डी.टी.आई.सी. को प्रस्तुत करेगा या आवेदन-पत्र पंजीकृत डाक से भी प्रेषित किए जा सकते हैं. विनिर्दिष्ट अधिकारी संयुक्त आवेदन-पत्र का निम्नलिखित बिन्दुओं पर परीक्षण करेंगे कि—
 - (एक) आवेदन-पत्र के पूर्ण सेट संलग्न हैं या नहीं;
 - (दो) विहित शुल्क संलग्न है या नहीं;
 - (तीन) आवश्यक संलग्नक किए गए हैं या नहीं;
 - (चार) आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ है या नहीं तथा सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है या नहीं. पॉवर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है या नहीं;
 - (पांच) कम्पनी के मामले में, प्लांट की स्थापना के निर्णय संबंधी कथन करते हुए कम्पनी के बोर्ड के संकल्प की प्रति संलग्न है या नहीं;
 - (छः) संलग्न सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होना चाहिए.
10. संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) के साथ विहित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन-पत्र अपूर्ण माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा.
11. बाधा-निवारण/ सहमति प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का निराकरण सुसंगत नियमों एवं अधिनियमों के अधीन एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा. आवेदन के निराकरण हेतु आवश्यक समय-सीमा उपाबंध-एक में वर्णित किए गए अनुसार होगा.
12. उन संलग्नकों तथा विशिष्टियों को, जो संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) का ही एक भाग है, आवेदक द्वारा स्वप्रमाणीकृत किया जाएगा.
13. अस्पष्ट, भ्रामक या गलत जानकारी दिए जाने की स्थिति में केवल आवेदक ही मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 18(1) के अधीन परिणाम के प्रति उत्तरदायी होगा.
14. यदि कोई सहमति/ बाधा-निवारण सी.ए.एफ. के अन्तर्गत नहीं आती है तो आवेदक संबंधित विभागों/एजेन्सियों द्वारा विहित प्ररूप में ऐसी बाधा-निवारण के लिए सुसंगत विधियों के अधीन सी.ए.एफ. के साथ अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा.
15. जहां सहमतियां/ बाधा-निवारण जारी करने हेतु संबंधित विभागों/ एजेन्सियों द्वारा कोई आवेदन-पत्र विहित नहीं किया गया हो, वहां आवेदक सादे कागज पर समस्त जानकारी एवं संलग्नकों के साथ आवेदन कर सकेगा.
16. आवेदक, यदि वे ऐसा चाहे तो, सीधे ही संबंधित विभागों/ एजेन्सियों को आवश्यक बाधा-निवारण/ सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं. संबंधित विभाग/ एजेन्सियां, मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा) नियम 2010 में यथा विहित समय-सीमा में ऐसे आवेदनों का निराकरण करेंगे.

आवेदक की ओर से पत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म. प्र. ट्रायफेक,
ए.व्ही.एन. टॉवर, 192
जोन-1, एम. पी. नगर,
भोपाल-11

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
जिला

विषय:—संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) का प्रस्तुत किया जाना.

महोदय,

हम जिला में रुपये के निवेश से एक नवीन परियोजना की स्थापना/ परियोजना का विस्तार/ परियोजना में विविधता/ उसका आधुनिकीकरण करना चाहते हैं.

आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) के सम्यक् रूप से भरे हुए भाग-‘क’ एवं भाग-‘ख’ प्रस्तुत हैं. हमारा निवेदन है कि म. प्र. निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन संयुक्त आवेदन-पत्र में यथावर्णित सहमतियां/ बाधा-निवारण प्राप्त करने में हमें सुविधा प्रदान करने का कष्ट करें.

भवदीय

हस्ताक्षर

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक :

नाम

स्थान :

पदनाम

कम्पनी

संलग्न :

1. संयुक्त आवेदन-पत्र (भाग-‘क’ एवं ‘ख’)
2. घोषणा-पत्र
3. समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची.

संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) भाग-क

परियोजना की सामान्य जानकारी—

1. आवेदक का नाम
2. परियोजना का नाम

3. प्रस्तावित स्थल
4. पूर्ण पता

पंजीकृत कार्यालय	निगमित कार्यालय	स्थानीय कार्यालय
दूरभाष क्रमांक :	दूरभाष क्रमांक :	दूरभाष क्रमांक :
फैक्स :	फैक्स :	फैक्स :
ई-मेल :	ई-मेल :	ई-मेल :

पत्राचार के लिए पता :-

5. कम्पनी के स्वामी/ भागीदार/ प्रवर्तक/ संचालक के ब्यौरे :

अनुक्रमांक	नाम	पदनाम	पता	दूरभाष क्रमांक	फैक्स/ई-मेल
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

6. परियोजना प्रमुख/मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पता :

नाम	पदनाम	पता	दूरभाष क्रमांक	फैक्स/ ई-मेल
-----	-------	-----	----------------	--------------

7. सम्पर्क हेतु व्यक्ति का विवरण :

नाम	पदनाम	पता	दूरभाष क्रमांक	फैक्स/ ई-मेल
-----	-------	-----	----------------	--------------

8. फर्म का गठन :
(कृपया चिन्ह लगाएं)

अनुक्रमांक	फर्म/ कंपनी	कृपया (✓) चिन्ह लगाएं
1.	स्वामित्व	
2.	भागीदारी	
3.	प्रायवेट लिमिटेड	
4.	पब्लिक लिमिटेड	
5.	अन्य कृपया विनिर्दिष्ट करें	

9. प्रस्तावित परियोजना की श्रेणी :

अनुक्रमांक	अन्य श्रेणी	कृपया (✓) चिन्ह लगाएं
1.	उद्योग (क) सूक्ष्म (ख) लघु उद्योग (एस.एस.आई.) (ग) मध्यम (घ) वृहद	
2.	सेवा	

10. विनिर्माण के लिए प्रस्तावित वस्तु/सेवा का नाम :

अनुक्रमांक	वस्तु/ सेवा का नाम	प्रस्तावित क्षमता (प्रतिवर्ष)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

11. प्रस्तावित निवेश :

विवरण	मूल्य (रु. लाख में)
(एक) भूमि एवं स्थल विकास	
(दो) भवन	
(तीन) संयंत्र एवं मशीनरी	
(क) स्वदेशी	
(ख) आयातित	
(चार) विद्युत् संस्थापन	
(पांच) केप्टिव पावर उत्पादन में निवेश (यदि कोई हो)	
(छह) अन्य स्थिर आस्तियां	
कुल स्थिर निवेश	
(सात) प्रारंभिक और चालू करने के पूर्व व्यय	
(आठ) कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी	
कुल परियोजना लागत	

12. वित्तीय साधन :

अनुक्रमांक	विवरण	(रुपये लाख में)
1.	अंश पूंजी	
2.	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों से सावधि ऋण	
3.	अप्रतिभूत ऋण	
4.	अन्य परिदान (यदि कोई हो)	
योग		

13. प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि की कुल आवश्यकता :

14. बिजली की आवश्यकता:

- (एक) उच्च दाब (एच.टी) एवं निम्न दाब (एल.टी.) संयोजन:
- (दो) अपेक्षित भार:

15. जल की प्राक्कलित आवश्यकता:
(कि.ली. प्रतिदिन)

16. प्रस्तावित रोजगार :

- * प्रबन्धकीय :
- * पर्यवेक्षीय :
- * कुशल :
- * अकुशल :

17. उद्यम संबंधी ज्ञापन का विवरण (भाग-एक एवं दो)/एसआईए अभिस्वीकृति/ औद्योगिक अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (कृपया प्रतियां संलग्न करें)

क्रमांक/दिनांक	उत्पादन का नाम	जारीकर्ता प्राधिकारी	वैद्यता की अवधि

18. उत्पादन/सेवाएं प्रारंभ होने की संभावित तारीख:

19. सरकारी विभागों /एजेन्सियों, यदि कोई हों, के साथ हस्ताक्षरित किए गए एमओयू/ईओआई का विवरण (प्रति संलग्न की जाए):

20. क्या परियोजना को प्रोजेक्ट क्लीयरेंस इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड (पी.सी.आई.बी.) से बाध-निवारण प्राप्त है, उसके ब्यौरे, यदि लागू हो :

21. परियोजनाओं से संबंधित अन्य कोई जानकारी:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम

पता

दूरभाष क्रमांक :

मोबाइल नं. :

ई-मेल :

टिप्पणी :—

1. आवेदकों द्वारा विभिन्न विभागों से बाधा-निवारण/सहमतियां प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ परियोजना की सामान्य जानकारी (केवल भाग-क) का एक सेट संलग्न किया जाना आवश्यक है, इसके अतिरिक्त परियोजना की सामान्य जानकारी (केवल भाग-क) का एक अतिरिक्त सेट नोडल अधिकारी को अभिलेख के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
2. यदि आवश्यक हो, तो परियोजना की सामान्य जानकारी के साथ पृथक् शीट, संलग्न की जा सकेगी.

संयुक्त आवेदन-पत्र भाग-ख

बाधा-निवारण उन आवेदन-पत्रों का संक्षिप्त सार जो अभिप्राप्त करने हेतु संयुक्त आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए गए हों:—

अनुक्रमांक	बाधा-निवारण	संयुक्त आवेदन-पत्र क्रमांक	विभाग/एजेन्सी	आवेदन संलग्न हैं (हां./नहीं)
1.	पर्यावरण संबंधी बाधा-निवारण (जल एवं वायु प्रदूषण के लिए सहमति).	सीएफ-1	राज्य पर्यावरण संबंधी प्रभाव निर्धारण एजेन्सी.	
2.	विद्युत् संयोजन उच्चदाब (एच.टी.) संयोजन निम्नदाब (एल.टी.) संयोजन	सीएफ-2 (क) एवं (ख)	संबंधित विद्युत् वितरण कम्पनी	
3.	कारखाना अधिनियम के अधीन स्थल अनुमोदन एवं भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा.	सीएफ-3	श्रम विभाग	
4.	भूमि आवंटन	सीएफ-4	संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों (डी.टी.आई.सी.)/मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (एम.पी.ए.के.व्ही.एन.)	
5.	जल आपूर्ति	सीएफ-5	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (एम.पी.ए.के.व्ही.एन.)	
6.	प्राकृतिक संसाधनों से निकाले जाने वाले प्रस्तावित जल का आवंटन.	सीएफ-6	जल संसाधन विभाग	
7.	भवन के निर्माण हेतु स्थानीय निकायों से अनुज्ञा.	सीएफ-7	नगर पालिका/नगर निगम	
8.	अन्य			(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सी.ए.एफ.-1

पर्यावरणीय विधि नियम विषयक आवश्यकताएं :—

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन सहमति को जिनमें स्थानीय निकायों/ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 में सूचीबद्ध उद्योग सम्मिलित हैं, खदानों के सरलीकरण प्रक्रिया के अधीन सूचीबद्ध एस.एस.आई. सेक्टर में क्रियाकलापों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 21-1-2008 के लिए सहमति जल एवं वायु अधिनियम के अधीन सहमति प्राप्त करना आवश्यक है. सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:—

एक. 5.0 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल वाली मध्यम/वृहद उद्योग/ संस्था/नगरपालिक निगम की खदानें:—सहमति दो भागों में दी जाती है :—

(क) स्थापना हेतु अनुज्ञा (ख) संचालन हेतु सहमति, किसी नियम कालावधि के लिए संचालन की सहमति जारी करने के पश्चात् यह आवश्यक है कि नियमित रूप से नवीकरण किया जाए.

स्थापना हेतु अनुज्ञा .—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन स्थापना की अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र विहित फार्मेट में बोर्ड के मुख्यालय, भोपाल में प्रस्तुत करना होगा।

संचालन हेतु सहमति .—जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन विस्तृत जानकारी एवं स्थापना की अनुज्ञा में अधिकथित शर्तों के पालन के साथ विहित फार्मेट में आवेदन बोर्ड के मुख्यालय, भोपाल में प्रस्तुत करना होगा।

सहमति का नवीकरण .—सहमति का संचालक या सहमति का नवीकरण नियत कालावधि के लिए किया जाता है। सहमति का वैधता की समाप्ति के पूर्व नवीकृत होना आवश्यक है। सहमति के नवीकरण हेतु आवेदन-पत्र जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन विहित फार्मेट में तथा आवश्यक सहमति नवीकरण फीस, बोर्ड के मुख्यालय, भोपाल में प्रस्तुत करना होगा।

दो. लघु उद्योग/संस्थाएं

एस.एस.आई. प्रवर्ग के अधीन उद्योग/संस्थाएं जो सहमति से छूट प्राप्त नहीं हैं: लघु उद्योग संस्थाएं जिसमें नगरपालिक निगम को छोड़कर पांच हेक्टेयर से कम खनन पट्टा रखने वाली खदानें स्थानीय संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए सहमति देने के लिए या सहमति का नवीकरण करने की शक्तियां बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई हैं। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन आवश्यक सहमति/सहमति नवीकरण फीस तथा सहमति के लिए आवेदन-पत्र विहित फार्मेट के साथ नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

एस.एस.आई. प्रवर्ग के अधीन उद्योग एवं संस्थाएं जो सहमति की सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं:—

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21 जनवरी 2008 द्वारा जारी सहमति की सरलीकृत प्रक्रिया के अधीन सूचीबद्ध क्रियाकलाप/ उद्योगों को विहित फार्मेट में एक आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। सरलीकृत प्रक्रिया के उपबंधों के अनुसार सुसंगत अधिनियम के अधीन अभिस्वीकृति को सहमति के रूप में समझा जाता है।

2. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन तथा ट्रान्स बाउण्ड्री मूवमेंट) नियम, 2008 के अधीन प्राधिकार :—

सभी मध्यम/वृहद उद्योग/ संस्था/नगरपालिक निगम/5.0 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल की खदानों को खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन, तथा ट्रान्स बाउण्ड्री मूवमेंट) नियम, 2008 के अन्तर्गत प्राधिकार हेतु लागू प्रशासकीय प्रभारों (यदि सम्मिलित हैं) व्यय के साथ आवेदन बोर्ड के मुख्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है। लघु उद्योग/संस्थाएं जिसमें नगरपालिक निगम को छोड़कर 05 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की खदानों, स्थानीय प्राधिकरणों तथा खतरनाक अपशिष्ट(प्रबंधन, हथालन, तथा ट्रान्स बाउण्ड्री मूवमेंट) नियम, 2008 के अधीन लघु उद्योगों/पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र की खनन पट्टा वाली खदानों को सम्मिलित करते हुए, नगर पालिक निगमों के सिवाय अन्य स्थानीय प्राधिकारियों को प्राधिकार देने की शक्तियां बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्योजित की गई हैं।

3. ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अधीन पर्यावरण के संबंध में बाधा-निवारण:—

ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योगों/क्रियाकलापों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिकरण (एजेन्सी) (SEIAA) से पर्यावरण के संबंध में बाधा-निवारण प्राप्त करना आवश्यक है:—

(क) ई. आई. ए. अधिसूचना, की अनुसूची में "क" श्रेणी में सूचीबद्ध उद्योगों या क्रियाकलापों को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण के संबंध में बाधा-निवारण प्राप्त करना आवश्यक है।

- (ख) ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में "ख" श्रेणी में सूचीबद्ध उद्योगों या क्रियाकलापों को राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिकरण (एजेन्सी) (SEIAA) से पर्यावरण के संबंध में बाधा-निवारण प्राप्त करना आवश्यक है.

टिप्पण : ऑनलाइन आवेदन हेतु कृपया बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट देखें.

जल/वायु अधिनियमों के अधीन सहमति हेतु आवेदन प्ररूप तथा सहमति शुल्क का ब्यौरा बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट www.mppcb.nic.in/Divisions/Technial/Consentmanagement पर उपलब्ध है.

औद्योगिक इकाईयों को पूर्व पर्यावरणीय बाधा-निवारण देने हेतु प्रक्रिया

1. जहां कोई उद्यमी - नवीन उद्योग स्थापित करना चाहता है.
- विद्यमान उद्योग का विस्तार/आधुनिकीकरण करना चाहता है.
- विद्यमान उद्योग में प्रक्रिया/तकनीक में परिवर्तन करना चाहता है, या
- क्रियाशील उद्योग के स्थान में परिवर्तन करना चाहता है.

(ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योग/प्रक्रिया यथास्थिति एम.ओ.ई.एफ.(जी.ओ.आई.) या एस.ई.आई.ए.ए. से पूर्व क्रियाकलापों का पर्यावरणीय बाधा-निवारण प्राप्त करना होगा-कृपया ई.आई.ए. अधिसूचना की संलग्न अनुसूची का सन्दर्भ लें.)

2. एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा पूर्व पर्यावरणीय बाधा-निवारण हेतु प्राप्त आवेदन तकनीकी पुनर्विलोकन स्क्रीनिंग और स्कोपिंग हेतु स्टेट इनवायरनमेंटल एग्जल कमेटी को अग्रेषित करना है. टी.ओ.आर. (TOR) हेतु परियोजना प्रस्तावक को स्टेट इनवायरनमेंटल एग्जल कमेटी के समक्ष परियोजना के संबंध में मुख्य बातों पर प्रस्तुत करना है. एस.ई.ए.सी. द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर मौके पर ही पी.पी. द्वारा देना होगा.

3. यदि स्टेट इनवायरनमेंटल एग्जल कमेटी प्रस्तुत करने से संतुष्ट है तो पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (EIA) तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP) तैयार करके टी.ओ.आर. (TOR) को अनुमोदित तथा जारी किया जाता है.

4. टी.ओ.आर. (TOR) के आधार पर अंतिम पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (EIA) तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP) तैयार कर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष लोक सुनवाई हेतु (यदि आवश्यक हो) प्रस्तुत की जाती है. लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को सम्मिलित करने के पश्चात् अंतिम पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (EIA) तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP) तैयार की जाती है.

5. अंतिम पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (EIA) पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP) के साथ पर्यावरणीय बाधा-निवारण हेतु आवश्यकतानुसार भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करना होता है. स्टेट इनवायरनमेंटल एग्जल कमेटी के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तावक द्वारा समस्त प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करना होंगे.

जल/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियमों के अधीन सहमति :

ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 में सूचीबद्ध उद्योगों को सम्मिलित करते हुए खदानों एवं समस्त उद्योगों, संस्थाओं स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 21-1-2008 सहमति हेतु सरलीकृत प्रक्रिया के अधीन सहयोगी एस.एस.आई. सेक्टर में क्रियाकलापों को छोड़कर जल तथा वायु अधिनियम के अधीन, सहमति प्राप्त करना आवश्यक है.

राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण एजेन्सी (एस.ई.आई.ए.ए.) द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन पर्यावरणीय बाधा-निवारण हेतु आवश्यक विवरण

प्ररूप-1

(एक) आधारभूत जानकारी :

परियोजना का नाम :

विचाराधीन वैकल्पिक अवस्थिति/स्थल :

परियोजना का आकार :

परियोजना की अनुमानित लागत :

संपर्क जानकारी :

संवीक्षा प्रवर्ग :

अंचलीय क्रियाकलाप के लिए तत्स्थानी क्षमता (जैसे विनिर्माण करने के लिए उत्पादन क्षमता, खनिज उत्पादन के लिए खनन पट्टा और उत्पादन क्षमता खनिज पूर्वेक्षण के लिए क्षेत्र, अनुरेख परिवहन अवसंरचना के लिए लंबाई, विद्युत् उत्पादन आदि के उत्पादन क्षमता)

(दो) क्रियाकलाप :

1. परियोजना का सन्निर्माण, प्रचालन या न निकालना जिसमें ऐसी कार्रवाई भी सम्मिलित है जो स्थान में भौतिक परिवर्तनों का कारण होगी (स्थलाकृति, भूमि उपयोग, जल निकायों में परिवर्तन आदि) :

अनुक्रमांक	जानकारी/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	उनके ब्यौरे (लगभग मात्रा/दर, सहित, जहाँ तक संभव हो) आंकड़ों की जानकारी के स्रोत सहित
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	भूमि उपयोग, समावेश भूमि या स्थलाकृति में स्थायी या अस्थायी जिसमें भूमि उपयोग की मात्रा (स्थानीय भूमि उपयोग योजना के बारे में वृद्धि भी सम्मिलित है).		
(2)	विद्यमान भूमि, वनस्पति और भवनों के संबंध में बाधा-निवारण.		
(3)	नई भूमि उपयोगों का सृजन		
(4)	सन्निर्माण पूर्व अन्वेषण अर्थात् बोर, गृह, मिट्टी का परीक्षण करना.		
(5)	सन्निर्माण कार्य?		
(6)	नष्ट करने संबंधी कार्य		
(7)	सन्निर्माण कार्य या सन्निर्माण कर्मकारों के गृह निर्माण के प्रबंध के लिए उपयोग किए गए अस्थायी स्थल.		

(1)	(2)	(3)	(4)
(8)	उपर्युक्त भू-भवन, संरचनाएं या धुस्स जिसमें अनुरेखीय संरचनाएं, काटना और भरना या खुदाई भी सम्मिलित है.		
(9)	भूमिगत कार्य जिसमें खनन सुरंग बनाना भी सम्मिलित है.		
(10)	भूमि सुधार कार्य		
(11)	तलकषक		
(12)	अपतट संरचनाएं		
(13)	उत्पादन और विनिर्माण प्रक्रियाएं		
(14)	सामग्रियों या माल के भंडार की सुविधाएं		
(15)	ठोस अपशिष्ट या तरल बहिस्त्रावों के उपचार या निपटान के लिए सुविधाएं.		
(16)	परिचालन कर्मकारों के दीर्घकालिक गृह निर्माण का प्रबंधन के लिए सुविधाएं		
(17)	सन्निर्माण या प्रचालन के दौरान नई सड़क, रेल या समुद्री यातायात		
(18)	नई सड़क रेल, वायु जल वाहित या अन्य परिवहन अवसंरचना जिसमें नए या परिवर्तित मार्ग और स्टेशन, पत्तन, विमानपत्तन आदि भी सम्मिलित है.		
(19)	विद्यमान परिवहन मार्गों को बंद या परिवर्तित करना या यातायात परिचालन में परिवर्तनों के लिए प्रमुख अवसंरचना.		
(20)	नई या परिवर्तित प्रेषण लाईनें या पाइप लाईनें		
(21)	अवरुद्ध करना, बांध बनाना, पुलिया बनाना, पुन-रेखांकन या जल मार्गों या एक्वाफरों के जल विज्ञान के लिए अन्य परिवर्तन.		
(22)	प्रवाह पार		
(23)	भू-जल या भू-तल से जल का अंतरण या पृथक्करण		
(24)	नालियों या प्रवाह को प्रभावित करने वाले जल निकायों या भूमि स्तर में परिवर्तन.		

(1)	(2)	(3)	(4)
(25)	सन्निर्माण, प्रचालन या डिकमिशनिंग के लिए कार्मिक या सामग्रियों का परिवहन.		
(26)	दीर्घकालिक रूप में तोड़ना या डिकमिशनिंग या कार्य पुनः आरंभ करना.		
(27)	डिकमिशनिंग के दौरान जारी ऐसे क्रियाकलाप जो पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकते हों.		
(28)	जनता का किसी क्षेत्र के लिए या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से आगमन.		
(29)	अन्य देशीय प्रजातियों की पुरःस्थापना		
(30)	मूल निवासी प्रजातियों या आनुवंशिक विविधता की हानि.		
(31)	अन्य कोई कार्यवाहियाँ		

2. परियोजना के सन्निर्माण या प्रचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग (जैसे भूमि, जल सामग्री या ऊर्जा विशेष रूप से ऐसा कोई संसाधन जो नवीकरणीय नहीं है या जिसका प्रदाय कम है) :

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां तक संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	विशेष रूप से अविकसित भूमि या कृषि भूमि हेक्टेयर		
(2)	जल (अनुमानित स्रोत और प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई: के.एल.डी.		
(3)	खनिज (एम.टी.)		
(4)	सन्निर्माण सामग्री-पत्थर संकलित सामग्री और औसत बालू, मृदा (अनुमानित स्रोत एम.टी.)		
(5)	वन और इमारती लकड़ी (स्रोत-एम.टी.)		
(6)	ऊर्जा जिसके अंतर्गत विद्युत और ईंधन (स्रोत प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई : ईंधन (एम.टी.) ऊर्जा (एम. डब्ल्यू).		
(7)	कोई अन्य प्राकृतिक संसाधन, (समुचित मानक इकाइयों का उपयोग करें).		

3. पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग भण्डारकरण, परिवहन, उठाई-धराई या उत्पादन, जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक या जिससे मानव स्वास्थ्य की जोखिम की वास्तविकता के बारे में चिंताएं उठती हैं :-

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां तक संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण (फ्लोरा फॉना और जल प्रदाय के लिए परिसंकटमय) (एम.एस.आई.एच.सी. नियमों के अनुसार) है.		
(2)	रोग के होने में परिवर्तन या रोग वाहकों के रोग का प्रभाव (उदाहरणार्थ कीट या जल जन्य रोग).		
(3)	लोगों के कल्याण पर प्रभाव उदाहरणार्थ जीवन दशाओं में परिवर्तन करके.		
(4)	लोगों के संवेदनशील समूह जो परियोजना अर्थात अस्पताल रोगियों, बालकों, वृद्धों आदि द्वारा प्रभावित हो सकते हैं.		
(5)	कोई अन्य कारण.		

4. निर्माण या प्रचालन या प्रारंभ न करने के दौरान अपशिष्टों का उत्पादन (एम.टी./मास) :-

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां तक संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	मृदा, अधिक भार या खान अपशिष्ट		
(2)	नगरपालिक अपशिष्ट (घरेलू और वाणिज्यिक अपशिष्ट).		
(3)	परिसंकटमय अपशिष्ट (परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र नियमों के अनुसार).		
(4)	अन्य औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट		
(5)	अधिशेष उत्पादन		
(6)	मल बहिःस्त्राव उपचार से मल गाद या अन्य गाद		
(7)	निर्माण या ढाये गए अपशिष्ट		
(8)	बेकार मशीनरी या उपस्कर		
(9)	संदूषित मृदाएं या अन्य सामग्रियां		
(10)	कृषि अपशिष्ट		
(11)	अन्य ठोस अपशिष्ट		

5. वायु में संदूषकों या किसी परिसंकटमय विषैली या जहरीले पदार्थों का विसर्जन :

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, यथाशक्य संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	लेखन सामग्री या चल संसाधनों से जीवाष्प ईंधनों के दहन से उत्सर्जन.		
(2)	उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्सर्जन		
(3)	सामग्रियों की उठाई-धराई जिसके अंतर्गत भंडारण या परिवहन भी है, उत्सर्जन.		
(4)	निर्माण क्रियाकलापों से जिसके अंतर्गत संयंत्र और उपस्कर भी हैं, से उत्सर्जन.		
(5)	सामग्रियों की उठाई-धराई से जिसके अंतर्गत निर्माण सामग्री, मल और अपशिष्ट भी है, धूल या गंध.		
(6)	अपशिष्ट के भस्मीकरण के उत्सर्जन		
(7)	खुली वायु में अपशिष्ट के जलने से उत्सर्जन (उदाहरणार्थ स्लैश सामग्री, निर्माण सामग्री का ढेर).		
(8)	किन्हीं अन्य स्रोतों से उत्सर्जन		

6. शोर और कंपन का पैदा होना तथा प्रकाश और उष्मा का उत्सर्जन :—

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (मात्राओं/दरों सहित, यथाशक्य संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	उपस्कर उदाहरणार्थ, ईंजन, संवातन संयंत्र, संदलन-साधित्र के प्रचालन से.		
(2)	औद्योगिक या उसी प्रकार की प्रक्रियाओं से		
(3)	निर्माण करने या तोड़ने से		
(4)	विस्फोटक या पाईलिंग से		
(5)	निर्माण या प्रचालन यातायात से		
(6)	प्रकाश या प्रशीतक प्रणालियों से		
(7)	किन्हीं अन्य स्रोतों से		

7. भूमि में या मल नालियों में, सतही जल, भूमिगत जल, समुद्र के तटीय जल में प्रदूषकों के विसर्जन से भूमि या जल के संदूषण के जोखिम :

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (मात्राओं/दरों सहित, यथाशक्य संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	परिसंकटमय सामग्री की उठाई-धराई, भंडारण, उपयोग या गाद से.		
(2)	जल या भूमि में (अपेक्षित रीति तथा विसर्जन का स्थान) मल या अन्य बहिःस्रोत के विसर्जन से.		
(3)	वायु से भूमि या जल में उत्सर्जित प्रदूषकों के जमा होने से.		
(4)	किन्हीं अन्य स्रोतों से		
(5)	क्या इन स्रोतों से पर्यावरण में दीर्घकाल तक प्रदूषक के जमा होने की जोखिम है?		

8. परियोजना के निर्माण या प्रचालन के दौरान दुर्घटनाओं के जोखिम जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं :

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (करीबी मात्राओं/दरों सहित, यथाशक्य संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	परिसंकटमय पदार्थों के विस्फोट, गाद, आग इत्यादि से, भंडारण, उठाई-धराई, उपयोग या उत्पादन से.		
(2)	किन्ही अन्य कारणों से		
(3)	क्या परियोजना प्राकृतिक विपदाओं द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी (उदाहरणार्थ बाढ़, भूकंप, भू-स्खलन वृष्टिस्फोट आदि)?		

9. बातें, जिन पर विचार किया जाना चाहिए (जैसे पारिणामिक विकास) जिनके कारण पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं या जो संचयी प्रभावों के लिए अन्य विद्यमान प्रभावों सहित सम्भाव्य है या परिक्षेत्र में नियोजित क्रियाकलापों के लिए सामर्थवान है :-

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (करीबी मात्राओं/दरों सहित, यथाशक्य संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	ऐसी परियोजनाएं जिनके द्वारा अयोग्यताओं को सहयोग का विकास आनुषंगिक विकास या परियोजना द्वारा		

(1)	(2)	(3)	(4)
	विकास को प्रोत्साहन मिलता है, जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है अर्थात् :-		
	<ul style="list-style-type: none"> ● आधारित संरचना (सड़कें, विद्युत प्रदाय, अपशिष्ट या अपशिष्ट जल उपचार आदि). ● गृह निर्माण विकास ● निष्कर्षित उद्योग ● आपूर्ति उद्योग ● अन्य 		
(2)	जिसके कारण स्थल का बाद में उपयोग होता है जिसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव हो सकता है.		
(3)	पश्चात्पूर्ती विकास के लिए उदाहरण स्थापित करना		
(4)	अन्य विद्यमान परियोजनाओं से सामीप्य के कारण या समान प्रभाव को नियोजित परियोजनाओं पर संचयी प्रभाव रखना.		

(तीन) पर्यावरणीय संवेदनशीलता :

अनुक्रमांक	क्षेत्र	नाम/पहचान	वायुमण्डलीय दूरी (15 किलोमीटर के भीतर) प्रस्तावित परियोजना अवस्थान सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उनके पारिस्थितिकी, भू-दृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी, राष्ट्रीय या स्थानीय विधायन के अधीन संरक्षित क्षेत्र.		
2.	क्षेत्र जो पारिस्थितिक कारणों के लिए महत्वपूर्ण या संवेदनशील है-वेट लैंड्स, जल स्रोत या अन्य जल निकाय, तटीय परिक्षेत्र, जीवमण्डल (बायोस्फीयर) पर्वत वन.		
3.	क्षेत्र जो प्रजनन, घोंसला बनाने, चारे के लिए, आराम करने के लिए, सर्दी के लिए, प्रवास के लिए फ्लोरा और फॉना की संरक्षित महत्वपूर्ण या संवेदनशील प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं.		
4.	अंतर्देशीय, तटीय, सामुद्रिक या भूमिगत जल		

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	राज्य, राष्ट्रीय सीमाएं		
6.	मनोरंजन हेतु या अन्य पर्यटक तीर्थ यात्रियों वाले क्षेत्रों में पहुंच के लिए जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग या प्रसुविधाएं.		
7.	रक्षा प्रतिष्ठापन		
8.	सघन रूप से बसे हुए या निर्मित क्षेत्र		
9.	मानव निर्मित संवेदनशील भूमि उपयोगों के लिए अधिगृहीत क्षेत्र (अस्पताल, पाठशालाएं, पूजा स्थल, सामुदायिक सुविधाएं).		
10.	महत्वपूर्ण, उच्च गुणवत्ता या दुर्लभ संसाधनों वाले क्षेत्र (भूमिगत जल संसाधन, भू-तल संसाधन, वनोद्योग, कृषि, मत्स्य उद्योग, पर्यटन, खनिज).		
11.	क्षेत्र जो पहले से ही प्रदूषण या पर्यावरणीय नुकसान के अधीन है (वे जहां विद्यमान विधिक पर्यावरणीय मानक अधिक होते हैं).		
12.	प्राकृतिक संकट के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र जो परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन सकते हैं (भू-कम्प, धंसना, भूस्खलन, भूमि कटाव, बाढ़ या अत्यंत या प्रतिकूल वातावरणीय दशाएं).		

(चार) ईआईए अध्ययन हेतु प्रस्तावित शर्तों के निर्देश :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

अपेक्षित संलग्नक :—

उद्योग विभाग के रजिस्ट्रीकरण की प्रति.

भूमि आवंटन की प्रति.

परियोजना प्रतिवेदन की प्रति.

वैचारिक योजना (कन्सेप्युअल प्लान).

प्रस्तावित उद्योग एवं उद्योग के आस-पास के 5 कि.मी. में सूक्ष्म स्तरीय रूपरेखा की स्थिति दर्शाता हुआ नक्शा.

टिप्पण.—आवेदन-पत्र दो प्रतियों में संलग्न करें.

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों की सूची

अनुक्रमांक	परियोजना या क्रियाकलाप	प्रारंभ सीमा सहित प्रवर्ग		शर्तें यदि कोई हो
		क	ख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1. खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन (विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए) :

1(क) खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र को \geq 50 हेक्टेयर किसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान किए बिना एस्बैस्टस खनन.	$<$ 50 हेक्टेयर \geq 5 हेक्टेयर क्षेत्र.	साधारण शर्तें लागू होंगी टिप्पणी :— खनिज पदार्थों के पूर्वक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है बशर्ते कि भौतिक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है.
1(ख) तट से परे और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन.	सभी परियोजनाएं		टिप्पणी—खोज सर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग अन्तर्विष्ट न हो) को भौतिक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति लेने की शर्त पर छूट दी गई है.
1(ग) नदी घाटी परियोजनाएं	(एक) \geq 50 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन. (दो) \geq 10,000 हेक्टेयर खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र.	(एक) $<$ 50 \geq 25 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन. (दो) $<$ 10,000 हेक्टेयर खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र.	साधारण शर्तें लागू होंगी
1(घ) तापीय विद्युत संयंत्र	500 मे.वा. \geq (कोयला लिग्नाइट/ नेफ्था गैस आधारित) \geq 50 मे.वा. पैटकोक डीजल तथा सभी अन्य फ्यूल.	$<$ 500 मे.वा. (कोयला/ लिग्नाइट/ नेफ्था गैस आधारित). (पैटकोक, डीजल तथा सभी अन्य ईंधन) $<$ 50 मे.वा. \geq 25 मे.वा.	साधारण शर्तें लागू होंगी
1(ङ) आणविक विद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण.	सभी परियोजनाएं		

2. प्राथमिक प्रसंस्करण :

2(क) कोयला शोधनशालाएं	\geq 1 मिलियन टन/वार्षिक कोयले का उत्पादन.	$<$ 1 मिलियन टन/वार्षिक कोयले का उत्पादन.	साधारण शर्तें लागू होंगी (यदि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का मूल्यांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए).
-----------------------	--	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2(ख) खनिज हिताधिकारी		≥ 0.1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन.	≤ 0.1 मिलियन टन/वार्षिक कोयले का उत्पादन.	साधारण शर्त लागू होगी अनापत्ति प्रदान करने के लिए खान प्रस्ताव का खनिज हिताधिकारी के साथ ही मूल्यांकित किया जाना चाहिए.

3. पदार्थ उत्पादन :

3(क) धातुकर्म उद्योग (फैरस और गैर फैरस).	(क) प्राथमिक धातुकर्म उद्योग सभी परियोजनाएं. (ख) स्पंज आयरन विनिर्माण ≥ 200 टीपीडी. (ग) गौढ़ धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग, सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली इकाइयां $\geq 20,000$ टन/वार्षिक.	स्पंज आयरन विनिर्माण . . . < 200 टीपीडी गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग : 1. सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली इकाइयों $< 20,000$ टन/ वार्षिक. 2. अन्य सभी विषरहित गौढ़ धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग. $> 5,000$ टन/वार्षिक.	स्पंज आयरन विनिर्माण के लिए साधारण शर्त लागू होगी.
3 (ख) सीमेंट संयंत्र	वार्षिक उत्पादन क्षमता ≥ 1.0 मिलियन टन.	< 1.0 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता यह सभी ग्रेनाइट इकाइयों पर लागू है.	साधारण शर्त लागू होगी

4. पदार्थ प्रसंस्करण :

4(क) पेट्रोलियम रिफाईनिंग उद्योग	सभी परियोजनाएं	—	—
4(ख) कोक भट्टी संयंत्र	$\geq 25,0000$ टन/वार्षिक	$< 25,0000$ एवं $\geq 25,000$ टन/वार्षिक	—
4(ग) एम्बेस्टास मिलिंग और एस्वेस्टास आधारित उत्पादन.	सभी परियोजनाएं	—	—
4(घ) क्लोरालकली उद्योग	उत्पादन क्षमता ≥ 300 टीपीडी अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा से बाहर स्थित इकाई.	उत्पादन क्षमता < 300 टन पीडी और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित इकाई.	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी किसी नए पारा प्रकोष्ठ आधारित संयंत्र को अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और इस अधिसूचना द्वारा झिल्लीयम प्रकोष्ठ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने वाली विद्यमान इकाई को छूट प्राप्त है.
4(ङ) सोडा भस्म उद्योग	सभी परियोजनाएं	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4(च)	चमड़ा/त्वचा चर्म प्रसंस्करण उद्योग.	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर सभी नई परियोजनाएं या औद्योगिक क्षेत्र के बाहर विद्यमान इकाइयों का विस्तार.	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में नवीन परियोजनाएं या परियोजनाओं का विस्तार.	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5. उत्पादन/फैब्रिकेशन :				
5(क)	रासायनिक उर्वरक	सभी परियोजनाएं	—	—
5(ख)	कीटनाशक उद्योग और कीटनाशक विनिर्दिष्ट अंतर्वर्ती (संविन्यास को छोड़कर).	तकनीकी श्रेणी के कीटनाशकों का उत्पादन करने वाली सभी इकाइयां.	—	—
5(ग)	पेट्रो रसायन परिसर (पेट्रोलियम के अंश और प्राकृतिक गैस और/या एरोमैटिक्स में सुधार प्रसंस्करण आधारित उद्योग).	सभी परियोजनाएं	—	—
5 (घ)	मानव निर्मित फाइबर	रेयन	अन्य	साधारण शर्त लागू होगी
5 (ङ)	पेट्रो रसायन आधारित प्रसंस्करण (भंजन से भिन्न अन्य प्रसंस्करण तथा सुधार और जो परिसर के भीतर समाविष्ट नहीं है).	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाह्य अवस्थित.	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित.	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5(च)	सिंथेटिक कार्बनिक रसायन उद्योग (रंजक और रंजक मध्यक; थोक औषधि और औषधि विनिर्मितियों को छोड़कर मध्यक: सिंथेटिक रबड़, मूल कार्बनिक रसायन, अन्य सिंथेटिक कार्बनिक रसायन और रसायन मध्यक).	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित.	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित.	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5(छ)	आसवनी	(एक) सभी शीरा आधारित आसवनी. (दो) सभी गन्ने का शीरा आधारित आसवनी ≥ 30 के.एल.डी.	सभी गन्ने का रस/गैर आधारित आसवनी. < 30 के.एल.डी.	साधारण शर्त लागू होगी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(ज)	समेकित पेंट उद्योग	—	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
5(झ)	लुगदी और अपशिष्ट कागज से कागज का निर्माण उद्योग और तैयार लुगदी और विरंजन किए बिना तैयार लुगदी से कागज निर्माण उद्योग.	लुगदी विनिर्माण और कागज विनिर्माण उद्योग.	लुगदी विनिर्माण के बिना कागज विनिर्माण उद्योग.	साधारण शर्त लागू होगी
5(ञ)	चीनी उद्योग		गन्ना पेरने की क्षमता ≥ 5000 टेड केन.	साधारण शर्त लागू होगी
5(ट)	उत्प्रेरण/आर्क भट्टी/कुपोला भट्टी 5 टन प्रति घंटा या अधिक.	—	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी

6. सेवा सेक्टर :

6(क)	राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों/प्रवाल भित्तियों/एल.एन.जी टर्मिनल सहित पारिस्थिकीय संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली तेल और गैस परिवहन पाईप लाइनें अपरिष्कृत और प्रसंस्कृत/पेट्रो रसायन उत्पाद).	सभी परियोजनाएं	—	—
6(ख)	एकल भंडारण और परिसंकटमय रसायन को संभालना (एमएसआईएचसी नियम, 1989-2000 तक संशोधित अनुसूची 2 और 3 के कॉलम 3 में उपदर्शित परिमाण योजना के अनुसार).		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी

7. पर्यावरणीय सेवाओं को सम्मिलित करते हुए भौतिक अवसंरचना

7 (क)	विमानपत्तन	सभी परियोजनाएं	—	—
-------	------------	----------------	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7 (ख)	सभी पोत भंजन यार्ड जिसमें पोत भंजन इकाई भी सम्मिलित है।	सभी परियोजनाएं	—	—
7(ग)	औद्योगिक सम्पदा/पार्क/परिसर क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण जोन, विशेष आर्थिक जोन, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, चमड़ा.	प्रस्तावित औद्योगिक संपदा में यदि एक भी उद्योग श्रेणी के अंतर्गत आता है तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र को श्रेणी क ही समझा जाएगा चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो.	औद्योगिक संपदाएं और जिसमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित है और क्षेत्र < 500 हेक्टेयर हो. औद्योगिक संपदाएं क्षेत्र 500> हेक्टेयर और जिसमें श्रेणी क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है.	विशेष शर्त लागू होगी टिप्पण : औद्योगिक संपदा 500 हेक्टेयर से कम क्षेत्र जिसमें क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है, को मंजूरी की आवश्यकता नहीं है.
	परिसर		500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की औद्योगिक संपदाएं जिनमें कम से कम श्रेणी 'ख' का उद्योग स्थित हो.	
7(घ)	सामान्य परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार भंडारकरण और निपटान सुविधाएं (टी.एस.डी.एफ.एस.).	सभी एकीकृत सुविधाएं जिनमें भस्मीकरण और भूमिभरण या केवल भस्मीकरण शामिल है.	केवल भूमि भरण वाली सभी सुविधाएं.	साधारण शर्त लागू होगी
7(ङ)	पत्तन, बंदरगाह	≥ 5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता (मत्स्य बंदरगाह से भिन्न).	< 5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता और या पत्तन/बंदरगाह में ≥ 10000 रु. मछली उठाई-धराई की क्षमता.	साधारण शर्त लागू होगी
7(च)	राजमार्ग	(एक) नए राष्ट्रीय राजमार्ग और (दो) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं.	(एक) नए राज्य राजमार्ग और (दो) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबे राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है.	साधारण शर्त लागू होगी
7(छ)	आकाशीय यात्री रज्जुमार्ग.	—	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7(ज)	सामान्य स्त्राव उपचार संयंत्र (सी.ई.टी.पी.एस.)	—	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(झ)	सामान्य नगरपालिका ठोस अपविष्ट प्रबंधन सुविधा (सी.एम.एस. डब्ल्यू. एम.एफ.).	—	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी

8. भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण

8(क)	भवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं.	—	≥ 20000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < 150000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र #	आवृत संनिर्माण के लिए निर्मित क्षेत्र आकाश की ओर खुली सुविधाओं की दशा में यह क्रियाकलाप क्षेत्र भी होगा.
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाएं.	—	≥ 50 हेक्टर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए और या निर्मित क्षेत्र ≥ 150000 वर्गमीटर ++	++ 8 (ख) के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को ख 1 प्रवर्ग के अनुसार निर्बंधित किया जाएगा.

टिप्पणी :—

साधारण शर्त.— प्रवर्ग “ख” में विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप को प्रवर्ग “क” माना जाएगा, यदि वह (एक) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र; (दो) उसकी समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है; (तीन) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है; और (चार) अंतरराज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से दस किलोमीटर के भीतर सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवस्थित है.

विनिर्दिष्ट शर्त.— यदि कोई मद या 4 (घ), 4(च), 5(ङ), 5(च) जैसे समयुग्म की प्रकार का उद्योगों वाला औद्योगिक संपदा/परिसर/निर्यात प्रसंस्करण जोन/विशेष आर्थिक जोन/जैव प्रौद्योगिकी उद्यान/चमड़ा परिसर या पूर्व निर्धारित गतिविधियों वाले उद्योग (आवश्यक नहीं कि वे समयुग्म हो) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संपदाओं/परिसरों के भीतर प्रस्तावित उद्योगों सहित निजी उद्योगों को तब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना अपेक्षित नहीं है जब तक कि औद्योगिक परिसर/संपदा के लिए निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं करते (ऐसी संपदा/परिसरों की पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की निबंधनों और शर्तों के लिए सहमति सुनिश्चित करने के विधिक उत्तरदायित्व से स्पष्ट रूप से पहचान करने का प्रबंध होना चाहिए, जिसे परिसर/संपदा के सारे जीवन में उसके अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा).

सी.ए.एफ. 2
आवेदन प्रपत्र-उच्च दाब/निम्न दाब विद्युत् संयोजन हेतु

नवीन विद्युत् संयोजन/परिसर का परिवर्तन/संविदा मांग में परिवर्तन/टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/
उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन

(जो संबंधित न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

पासपोर्ट आकार
का फोटो यहां
चिपकाएं

महोदय,

मैं/हम, मेरे/हमारे परिसर के विद्युत् संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं. आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है:—

1. उपभोक्ता

(अ) आवेदक/संस्था का नाम : -----

(ब) पिता/पति/संचालक/साझीदार/न्यासी का नाम : -----

(स) परिसर का पूर्ण पता (पिन दर्शाते हुए) जहां विद्युत् संयोजन के लिये आवेदन किया जाना है या जहां परिवर्तन प्रस्तावित है. -----

दूरभाष क्रमांक : -----

(i) कारखाना/परिसर : -----

(ii) पंजीकृत कार्यालय (डाक पता सहित) : -----

(iii) निवास (डाक पता) : -----

ई-मेल : -----

बैंक खाता क्रमांक तथा बैंक का नाम (ऐच्छिक) : -----

विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा मांग, यदि कोई हो : ----- (उच्च दाब/निम्न दाब)

सेवा संयोजन क्रमांक (विद्यमान संयोजन हेतु) : -----
निम्न दाब प्रदाय :

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/प्लॉट का क्षेत्रफल : -----

3. विद्युत् आपूर्ति की श्रेणी (श्रेणियों की सूची संलग्न है) -----

4. विद्युत् आपूर्ति का उद्देश्य (उप श्रेणियों की सूची संलग्न है) -----

5. विद्युत् आपूर्ति का प्रकार : स्थाई/अस्थाई
 (जो लागू हो उसे टिक करें और जो लागू न हो उसे काटें)
 यदि अस्थाई है तो अवधि लिखें : दिनांक से तक
6. प्रस्तावित भार
- (अ) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बॉट
 (कृपया संयोजित भार की गणना के लिए प्रपत्र संलग्न करें)
- (ब) अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता (घरेलू को छोड़कर) निम्न सारणी में विवरण भरें
 (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षर करके सूची अलग से दी जावे).

उपकरण	विद्युत् भार प्रति उपकरण (बॉट में)	संख्या	कुल विद्युत् भार (बॉट में)
(1)	(2)	(3)	(4)

उच्च दाब प्रदाय :

7. वोल्टेज जिस पर विद्युत् संयोजन चाहिए (के.वी.) :—

11 के. वी.	33 के.वी.	132 के.वी.	220 के.वी.

8. विद्युत् संयोजन का प्रकार : स्थाई/अस्थाई
 (जो संबंधित न हो उसे काट दें और संबंधित हो उस पर टिक लगाये)
 यदि अस्थायी हो तो अवधि दर्शाये दिनांक से तक
9. आवेदक द्वारा अधिष्ठापन की स्थापना हेतु अब तक उठाये गये कदम
- (अ) - - - - -
- (ब) - - - - -
- (स) - - - - -
- (द) - - - - -
10. आवेदित संविदा मांग के प्रक्षेपण का आधार
- (अ) अनुमानित विविधकरण कारक : - - - - -
 (अनुमानित डायवरसिटी फैक्टर)
- (ब) कुल संबद्ध भार : - - - - -
 मशीनों की सूची संलग्न करें

11. क्या संयोजन को विभिन्न चरणों में लिये जाने की आवश्यकता है. : -----
12. संविदा मांग के चरण : -----

क्रमांक	आवश्यक संविदा मांग (के.वी.ए.)	संभावित दिनांक जब से आवश्यकता है	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)

13. अधिष्ठापन का प्रयोजन : -----
14. टैरिफ की चयनित श्रेणी (टैरिफ आदेश के अनुसार). : -----
15. उद्योग की उत्पादन क्षमता अथवा उत्पादन की संभावित तिथि. : -----
16. उद्योग की श्रेणी (जो संबंधित न हो उसे काट दें और जो संबंधित हों उसे दर्शायें). : लघु / मध्यम / वृहद
17. भूमि के अधिग्रहण की स्थिति (स्वामित्व का प्रमाण तथा वैधानिक स्वीकृतियां प्रस्तुत करें). : -----
18. अनुमानित दिनांक जब तक आर्थिक प्रबंध प्राप्त हो जाएगा : -----
19. क्या म. प्र. राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल, भोपाल से वैधानिक आवश्यकतानुसार आवश्यक अनुज्ञा/अनापत्ति (जहां आवश्यक हो) प्राप्त की है (यदि हां तो प्रति संलग्न करें). : -----

समस्त उपभोक्ताओं हेतु :

20. क्या अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि है. : हां/नहीं
21. क्या इस परिसर पर कोई बकाया राशि है जहां विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया है. : हां/नहीं
22. क्या ऐसी किसी संस्था आवेदक जिसका स्वामी, साझीदार संचालक या प्रबंध संचालक है, पर अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत कोई विद्युत बकाया राशि है. (क्रमांक 20, 21 एवं 22 के लिए यदि "हां" हो तो कृपया विवरण दें). : हां/नहीं

23. मैं / हम यह घोषणा करता हूँ / करते हैं कि—

- (अ) उपरोक्त प्रपत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है.
- (ब) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता के विषय-वस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ / हैं.
- (स) मैं/हम विद्युत टैरिफ व अन्य चार्जस के आधार पर (जो भी लागू हो) विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगतान प्रतिमाह करूंगा/करेंगे.
- (द) मैं / हम मीटर, कट आउट एवं उसके बाद की संस्थापना की प्रतिभूति एवं सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं.

दिनांक : - - - - -

(आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

स्थान : - - - - -

नोट.—आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :—

- परिसर के स्वामित्व का प्रमाण.
- प्लॉट / कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिन्दु को दर्शाता हुआ नक्शा. नक्शे का माप उच्च दाब संयोजन हेतु सामान्यतः 1 से.मी.=1200 से.मी. के अनुपात में होना चाहिए.
- यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से लायसेंस / अनापत्ति प्रमाण-पत्र या आवेदक का घोषणा-पत्र कि उसके कनेक्शन के लिये किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
- आवेदक यदि स्वयं की संस्था के लिये विद्युत संयोजन चाहता है तो एक शपथ-पत्र जिसमें यह उल्लेखित हो कि वह उस संस्था का स्वयं मालिक है.
- साझेदारी संस्था के मामले में साझेदारी संबंधी दस्तावेज.
- मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में समझौता पत्र तथा अनुच्छेद एसोसियेशन एवं निगम की प्रति (मेमोरण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इंकार्पोरेशन).
- आवेदक के स्थायी निवास के पते का प्रमाण एवं आवेदक का आयकर का स्थायी लेखा
.क्र. (पीएन नंबर), यदि कोई हो. स्थायी निवास के पते में भविष्य में यदि कोई बदलाव होता है तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को तदनुसार सूचित करेगा.
- औद्योगिक संयोजन हेतु उत्पादन/उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए लैटर ऑफ इन्टेंट.
- प्रस्तावित उपकरणों की अनुमानित भार सहित सूची.
- जहां संयोजन फर्म, लिमिटेड/प्रायवेट लिमिटेड फर्म, कम्पनी आदि के नाम से, के संबंध में प्राधिकार के संबंध में प्रस्ताव.
- उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन जहां यह लागू हो.
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वह भाग जो उद्योग के विद्युत आवश्यकताओं तथा उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित हो (उद्योगों के प्रकरण में).
- टैरिफ आदेश के संबंधित अनुभाग की प्रति जिसको उपभोक्ता द्वारा चयनित कर हस्ताक्षरित किया हो. इसे औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर अनुबंध का हिस्सा मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जावेगा.

संयुक्त आवेदन प्ररूप-3

कारखाने के रूप में किसी भवन का निर्माण करने, उसका विस्तार करने, उपयोग करने के लिए प्लान के अनुमोदन के लिए, तथा अनुज्ञा के लिए आवेदन

(जो लागू न हो काट दें)

1. आवेदक का नाम : -----
2. आवेदक का पता जिस पर वह इस संबंध में पत्राचार का इच्छुक है. : -----
3. कारखाने का पूरा नाम एवं डाक का पता : -----
4. कारखाना जहां स्थित है/स्थित किया जाने वाला है, उस स्थान की स्थिति
सड़क/रेलवे नगर/ग्राम
तहसील जिला
5. विनिर्माणीय प्रक्रिया
(क) की जावेगी (यदि कारखाना नया है)/की जा रही है,
(यदि कारखाना विद्यमान है)
(विवरण दीजिए)
(ख) क्या कारखाना अधिनियम की धारा 2 (सी.बी.) के अधीन परिभाषित किए गए अनुसार खतरनाक प्रक्रिया सम्मिलित है? (विवरण दें)
(ग) यदि (ख) के लिए "हां" है तो क्या राज्य शासन से स्थल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है? (विवरण दें)
(घ) क्या इसमें कारखाना अधिनियम की धारा 87 के अधीन घोषित किए गए अनुसार कोई खतरनाक प्रक्रिया आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सम्मिलित है? (विवरण दीजिए)
(ङ) यदि (घ) के लिए हां, है तो क्या सुसंगत अनुसूची के अनुसार बनाई जाने वाली संस्थापनाओं/इंतजामों की व्यवस्था को प्लान में सम्मिलित कर लिया गया है?
6. (क) कारखाने के प्रत्येक कमरे में नियोजित किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या
(ख) क्या अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार सभी कर्मकारों के लिए अपेक्षित साधन/सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में प्लान में सोच विचार कर लिया गया है?
7. (क) क्या संयंत्र में किसी प्रकार की लिफ्ट / हाइट्स / लिफ्टिंग मशीनें स्थापित हैं / स्थापित की जावेंगी (विवरण दीजिए)
(ख) यदि (क) के लिए "हां" है तो क्या अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार व्यवस्था के संबंध में प्लान में सोच विचार कर लिया गया है? (विवरण दीजिए)
8. (क) क्या किसी कर्मकार से विभिन्न तलों पर या ऊंचाई पर, जहां से उसके गिर जाने की संभावना है/या मशीनों या फिटिंग्स या सीमित स्थान गड्ढे या सम्प्ट के कारण संकुचित (कन्जेस्टेड) स्थल पर कार्य करने की अपेक्षा की जावेगी? (विवरण दीजिए)

- (ख) यदि (क) के लिए "हां" है तो क्या अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार पहुंच, बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था के उपबंध के बारे में प्लान में सोच विचार कर लिया गया है? (विवरण दीजिए)
9. क्या खतरनाक धूम्र/गैस निष्कासित होने या उसका विस्फोट होने की कोई संभावना है? यदि हां तो क्या अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किए जाने वाले उपयुक्त इंतजाम की व्यवस्था के बारे में प्लान में सोच विचार कर लिया गया है? (विवरण दीजिए)
10. निर्माण हेतु कौनसे पदार्थों का उपयोग किया है/किया जाएगा?
- (क) भवन हेतु (विवरण दीजिए)
- (ख) छत के लिए (विवरण दीजिए)
11. नियम 3(क) की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदत्त की गई जानकारी की विशिष्टियों के साथ प्रस्तुत की गई ड्राइंग्स की विशिष्टियां—
- (1)
- (2)

स्थान : - - - - -

दिनांक : - - - - -

आवेदक के हस्ताक्षर

जो उस परिसर का अधिभोगी बनने जा रहा है, जिसके लिए प्लान प्रस्तुत किया गया है और अनुमति मांगी गई है.

कारखाना अधिनियम के अधीन अनुमति हेतु आवश्यक संलग्नक :-

1. भू-व्यपवर्तन/पट्टाभिलेख/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से भू-आवंटन आदेश की छायाप्रति/किराया विलेख.
 2. संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद/भागीदारी विलेख.
 3. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/आवश्यक सहमति.
 4. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से ई.एम. अभिस्वीकृति.
 5. विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण फ्लो चार्ट सहित.
 6. ऑन साइट इमरजेंसी प्लान (खतरनाक श्रेणी के कारखानों के लिए).
 7. उपयोग में आने वाले/उत्पादन किए जाने वाले रसायनों की सूची एवं उनसे संबंधित मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट.
 8. नक्शा (ब्लू प्रिंट में)—
- (क) स्थल कार्ययोजना—1 : 500 (कारखानों की स्थिति आस-पास की स्थिति के साथ)
- (ख) प्लान, एलीवेशन, आवश्यक क्रॉस सेक्शन दर्शाने वाला मशीन लेआउट, दरवाजों का विवरण, खिड़की, वेंटीलेशन व्यवस्था व आपातकालीन निकासी व्यवस्था इत्यादि—माप-1 : 100

(आवेदन-पत्र चार प्रतियों में प्रस्तुत किए जावें).

संयुक्त आवेदन प्ररूप-4

भूमि आवंटन हेतु मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (एमपी एकेव्हीएन)/ जिला ब्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा
अपेक्षित अतिरिक्त ब्यौरे / विशिष्टियां

1. औद्योगिक क्षेत्र / विकास केन्द्र का नाम : -----
2. प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि विघटित के ब्यौरे (वर्गमीटर) :

अनुक्रमांक (1)	प्रयोजन (2)	प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र (3)	तत्काल उपयोग हेतु (4)	भविष्य में उपयोग हेतु (5)	कुल (6)
1	फैक्ट्री भवन				
2	प्लांट/मशीनरी द्वारा वास्तविक अधिभोग में				
3	कार्यालय एवं अन्य आनुषंगिक भवन				
4	खाली स्थान, उद्यान, लॉन या सड़कें				
5	सामग्री का भंडारण/गोदाम				
6	बहिःस्रोत का निष्पादन				
7	प्रयोगात्मक अनुसंधान				
8	अन्य कोई संरचना				
9.	ठोस अपशिष्ट या बहिःस्रोत के निष्पादन हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता.				

3. मशीनों की सूची (यदि सूची लंबी है, तो कृपया पृथक से पन्ना संलग्न करें) :

अनुक्रमांक (1)	मशीनों का विवरण (2)	एच.पी. (3)
1		
2		
3		

4. यदि अपेक्षित भूमि राजस्व विभाग का अंग हो तो—

(एक) भूमि की अवस्थिति,—

ग्राम :

तहसील :

जिला :

(दो) भूमि के ब्यौरे (कृपया बी-1, खसरा एवं नक्शे की प्रति संलग्न करें)
परियोजना हेतु अपेक्षित भूमि
(एकड़ में)

खसरा नम्बर :

(तीन) भूमि की प्रास्थिति :

राजस्व भूमि/नजूल भूमि

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

(आवेदन-पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए).

संलग्नकों की सूची :—

1. विद्यमान नियमों एवं विधियों के अनुसार अपेक्षित प्रस्तावित परियोजना स्थापित करने से संबंधित आवेदक का आशय उद्यमी ज्ञापन अभिस्वीकृति/आई.ई.एम. अथवा अनुज्ञप्ति कोई अन्य दस्तावेज की अभिस्वीकृति की प्रति.
2. संयंत्र (प्लांट) एवं मशीनरी/उपस्कर तथा औद्योगिक शेड के लिए अपेक्षित सन्निर्मित क्षेत्र के पूर्ण ब्यौरे सहित परियोजना प्रतिवेदन/स्कीम की प्रति, उत्पाद के लिए गोदाम, कच्चा माल, प्रोसेस चार्ट, लागत, वित्तीय संसाधन के साथ कार्यालय की प्रति आदि.
3. प्रस्तावित सन्निर्माण के भूमि उपयोगिता को सार्थक सिद्ध करते हुए अभिन्यास योजना तथा सन्निर्मित क्षेत्र/शेड की प्राक्कलित लागत.
4. आवेदक के संगठन के समर्थन में भागीदारी विलेख/संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उप-विधियां एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति.
5. भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों, उनके शेयर्स को उपदर्शित करते हुए नाम तथा पते, फर्म में दें. भागीदारी अधिनियम के अधीन भागीदारी विलेख एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की फोटोस्टेट/सत्यापित छायाप्रति भी संलग्न की जाएं.
6. कम्पनी के मामले में भूमि आवंटन के आवेदन के समर्थन में संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रति के साथ कम्पनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की एक प्रति, कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र.
7. सहकारी सोसायटी के मामले में कार्यकारी समिति द्वारा इस संबंध में पारित संकल्प की एक प्रति के साथ रजिस्ट्रीकरण क्रमांक एवं तारीख दें. सहकारी सोसायटी अधिनियम के अधीन उपविधियों एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें.
8. आवेदक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभिन्न दस्तावेजों और आवंटन से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को समर्थ बनाने के लिए आवेदक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्राधिकार पत्र.
9. क्रियान्वयन की विभिन्न प्रक्रमों को पूर्ण करने के लिए समय अनुसूची पर्ट चार्ट.
10. सूक्ष्म/लघु उद्योगों के मामले में ओवदन फीस रुपये 2000/- तथा मध्यम/वृहद् उद्योगों के मामले में रुपये 10000/- का ट्रेजरी चालान/डिमाण्ड ड्राफ्ट.

टिप्पण :—

- आवेदन फीस ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा की जाए, (डी.टी.आई.सी. के अधीन क्षेत्रों के लिए)
- आवेदन फीस संबंधित ए.के.व्ही.एन. (औद्योगिक केन्द्र विकास निगम) को देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाए (ए.के.व्ही.एन. के अधीन क्षेत्रों के लिए).

संयुक्त आवेदन प्ररूप-5

जल प्रदाय हेतु मध्यप्रदेश केन्द्र औद्योगिक विकास निगम से अपेक्षित अतिरिक्त विशिष्टियाँ

1. स्थल क्षेत्रफल (वर्गमीटर) :
पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार :
2. प्रयोजन :
3. कुल निर्मित क्षेत्र :

4. जल प्रदाय कनेक्शन का आवेदित आकार :
15 मि.मी./ 20 मि.मी./ 25 मि.मी./ 40 मि.मी./ 50 मि.मी./ अन्य
5. आवेदित सीवर (मल वहन) कनेक्शन का आकार :
100 मि.मी./ 150 मि.मी./ 200 मि.मी./ अन्य
6. विद्यमान जल कनेक्शन का विवरण :
7. विद्यमान सीवर (मल वहन) का विवरण :

संलग्नकों की सूची—

- (एक) भूमि आवंटन दस्तावेज
(दो) कोई जानकारी, यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त रूप से संलग्न करें.

कोई अन्य ब्यौरे

दिनांक :

वास्ते

हस्ताक्षर

स्थान :

पदनाम

नाम

(आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए).

संयुक्त आवेदन प्ररूप-6

प्राकृतिक संसाधनों/ नदी / जलधारा / नाला / शासकीय जल स्रोतों से प्रस्तावित जल आवंटन हेतु आवेदन

1. जल की आवश्यकता के निर्धारण का ब्यौरा :—

अनुक्रमांक (1)	कार्य का विवरण (2)	प्रतिदिन जल की आवश्यकता एम 3 (3)	प्रतिमाह जल की आवश्यकता एम.सी.एम. में (4)	प्रति वर्ष जल की आवश्यकता एम 3 में (5)

2. प्रस्तावित स्रोत का स्थान—

- (क) जिले का नाम
- (ख) तहसील का नाम
- (ग) समीपस्थ ग्राम का नाम
- (घ) नदी / नाला / जलधारा / जलाशय का नाम
(स्थान/अवस्थिति दर्शाने वाले सूचक नक्शा संलग्न करें).

3. जल स्रोत से किस प्रकार खींचा जाए, उसकी योजना :

अ. उद्योग द्वारा स्वयं की व्यवस्था

(क) प्राकृतिक स्रोत से पम्पिंग द्वारा

पम्प के प्रकार (1)	क्षमता बी.एच.पी. में (2)	संख्या (3)

(ख) भण्डारण जलाशय का निर्माण करके :

संरचना का प्रकरण (1)	लंबाई (2)	प्रस्तावित भण्डारण एमसीएम में (3)

ब. राज्य सरकार के जलाशय से

4. क्या आवंटन हेतु जिला स्तरीय जल उपयोग समिति को आवेदन प्रस्तुत किया है : हां/नहीं

5. उद्योगों/संयंत्रों/बिजली घर के चालू होने की निर्धारित तिथि

टिप्पणी.—राज्य सरकार द्वारा जल आवंटन की प्रक्रिया निम्नलिखित है :—

- (क) आवेदक उद्योग की जल आपूर्ति मांग उस जिले के जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालन यंत्र के माध्यम से जिला स्तरीय जल उपयोगिता समिति को प्रस्तुत की है, उस जिले के जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ अनुशंसा प्राप्त करें.
- (ख) जिला स्तरीय जल उपयोग समिति की अनुशंसा संबंधित मुख्य अभियंता नदी कछार को अग्रिष्ठित की जाएगी मुख्य अभियंता औद्योगिक उपयोगिता के लिए साध्यता एवं जल उपलब्धता के अनुसार अनुशंसा का पुनर्विलोकन करेगा तथा उसकी अनुशंसाओं के साथ प्रस्ताव, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय जल उपयोग समिति को प्रस्तुत करें.
- (ग) राज्य स्तरीय जल उपयोगिता समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारण करने से पूर्व, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल की अध्यक्षता में औद्योगिक जल उपयोगिता समिति द्वारा राज्य जल योजना के अनुसार प्रस्ताव का पुनर्विलोकन किया जाएगा तथा यदि प्रस्ताव साध्य पाया जाता है तो प्रमुख अभियंता राज्य स्तरीय जल उपयोगिता समिति को प्रस्ताव पर विचारण के लिए अनुशंसित करेगा.
- (घ) राज्य स्तरीय जल उपयोगिता समिति आवेदक उद्योग को गुण-दोष के आधार पर जल आवंटन के लिए अंतिम निर्णय लेती है.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम :

पता :

(आवेदन चार प्रतियों में संलग्न किया जाए).

संयुक्त आवेदन प्ररूप-7

भवन निर्माण के लिए स्थानीय निकायों से अनुमति हेतु अतिरिक्त विशिष्टियाँ

1. स्थल क्षेत्र (वर्गमीटर) :
पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार
2. उद्देश्य :
3. कुल निर्मित क्षेत्र :
4. भूमि का ब्यौरा :
(एक) पूरा पता
सर्वेक्षण क्रमांक/भू-खण्ड क्रमांक/ग्राम/तहसील/जिला
(दो) क्या भूमि व्यपर्तित है (ब्यौरे संलग्न करें)
5. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमोदन :
(यदि अधिसूचति औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित है)

संलग्नकों की सूची :

- (एक) स्वामित्व दस्तावेज :
- (दो) मूल ड्राइंग : 4 ब्लूप्रिंट :
- (तीन) भूमि व्यपवर्तन दस्तावेज :
- (चार) नगर और ग्राम निवेश योजना से अनुमोदन :
- (पांच) कोई अन्य ब्यौरे :

वास्ते

हस्ताक्षर

पद: प्रबन्धक/संचालक/मुख्य कार्यकारी/प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता/अधिष्ठाता/प्रबन्धक

(जो लागू न हो, उन्हें काट दें)

नाम

दिनांक :

स्थान :

(आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत करें).

**संयुक्त आवेदन प्ररूप के साथ स्वप्रमाणन
घोषणा-पत्र की पूर्ति की जाए**

**मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 16 (2) के अधीन
(रुपये 100/- के न्यायिकेतर स्टॉम्प पर निष्पादन किया जाए)**

में पुत्र/पुत्री/पत्नी
उम्र निवासी
जो पद मेसर्स फर्म/कम्पनी की ओर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ,
एतद्वारा निम्नलिखित वचन-पत्र देता हूँ कि:—

1. हमारी फर्म/कम्पनी, निर्माण/सेवा उपलब्ध करने हेतु स्थान पर परियोजना स्थापित करना प्रस्तावित कर रही है.
2. हम प्रमाणित करते हैं कि संयुक्त आवेदन-पत्र (भाग-क एवं भाग-ख) में दी गई विशिष्टियां हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य, सही हैं एवं पूर्ण हैं तथा हम उसके अधीन की गई घोषणाओं का पालन करने का वचन देते हैं. फर्म/कम्पनी, यदि प्रस्तुत की गई विशिष्टियां असत्य/गलत अथवा अपूर्ण पाए जाने पर एवं की गई घोषणाओं का पालन करने में असफल रहती है, तो फर्म/कम्पनी, मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 18 (1) के अधीन उल्लिखित दंडिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहेगी.

क्रियान्वयन स्तर :

3. फर्म/कम्पनी, एतद्वारा प्रत्येक निर्वाधन में विनिर्दिष्ट शर्तों के पालन करने तथा अपेक्षाओं/निर्वाधन की शर्तों के अनुपालन में बाधा-निवारण हमारे असफल रहने पर प्रत्याहरण/निर्वाधन के रद्दकरण के फलस्वरूप तथा संबंधित अधिनियमों/नियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विधिक परिणाम के लिये हम उत्तरदायी होंगे.

प्रचालन स्तर :

4. फर्म/कम्पनी, हमारी परियोजना पर लागू अधिनियम/नियम/विनियम के समस्त उपबंधों का पालन करने का वचन देती है.
5. फर्म/कम्पनी अस्पष्ट, भ्रामक अथवा गलत स्वप्रमाणन के कारण, निजी अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति को होने वाली किसी हानि के लिए उत्तरदायी होगी.

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम

स्थान :

दिनांक :

कार्यालय, मध्यप्रदेश व्यापार एवं निवेश संवर्धन निगम लि. भोपाल/जिला व्यापार एवं उद्योग
केन्द्र

अभिस्वीकृति

सी.ए.एफ. प्राप्ति क्रमांक मेसर्स से पूर्ण आकार में
दिनांक को संस्थापना हेतु निम्नलिखित निर्वाधन प्राप्त किए :-

अनुक्रमांक	निर्वाधन	संयुक्त आवेदन-पत्र क्रमांक	विभाग/एजेन्सी	आवेदन संलग्न (हाँ/नहीं) (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पर्यावरण निर्वाधन (जल एवं वायु प्रदूषण के लिए सहमति).	सी.ए.एफ.-1	राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन एजेन्सी.	
2	विद्युत् संयोजन उच्च दाब संयोजन निम्न दाब संयोजन.	सी.ए.एफ.-2 (ए) एवं (बी)	संबद्ध विद्युत् वितरण कम्पनी.	
3	कारखाना अधिनियम के अधीन स्थल अनुमोदन एवं भवन निर्माण हेतु अनुमति.	सी.ए.एफ.-3	श्रम विभाग	
4	भूमि आवंटन	सी.ए.एफ.-4	संबंधित जिला व्यापार/उद्योग केन्द्र एवं मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (मध्यप्रदेश ए. के. व्ही. एन.).	
5	जल आपूर्ति	सी.ए.एफ.-5	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (एम.पी.ए.के.व्ही.एन).	
6	प्राकृतिक संसाधनों से निकाले जाने वाले प्रस्तावित जल आवंटन.	सी.ए.एफ.-6	जल संसाधन विभाग	
7	स्थानीय निकायों से भवन निर्माण हेतु अनुमति.	सी.ए.एफ.-7	नगर निगम/नगरपालिका	
8	अन्य			

नाम
हस्ताक्षर एवं सील
नोडल एजेन्सी.

स्थान :

दिनांक :

उपाबंध—एक
[नियम 5 (4) तथा (5) देखिए]

आवेदनों के निपटारे के लिए संबंधित विभागों/एजेन्सियों के लिए विहित समय-सीमा

क्रमांक (1)	सहमति/शोधन (2)	वर्णित समय-सीमा (3)
1	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन पर्यावरण शोधन (एक) पर्यावरण प्रभाव के आंकलन (ई.आई.ए.)/ई.एम.पी. हेतु टर्म ऑफ रिफेरेंस (टी. ओ. आर.) का अंतिम रूप से तकनीकी पुनर्विलोकन, स्क्रीनिंग तथा स्कोपिंग. (दो) राज्य स्तरीय आंकलन समिति द्वारा ई.आई.ए./ई.एम.पी. अंतिम अनुमति/अनुमति का मूल्यांकन. (तीन) राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण एजेन्सी (एस.ई.आई.ए.ए.) द्वारा पूर्व पर्यावरण मंजूरी का अनुमोदन तथा जारी किया जाना.	60 दिवस 60 दिवस 45 दिवस
2	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन उद्योग स्थापना के लिए सहमति	120 दिवस
3	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन उद्योग स्थापना के लिए सहमति	120 दिवस
4	मध्यप्रदेश विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा निम्न दाब के विद्युत् कनेक्शन स्वीकृत करना	20 दिवस
5	मध्यप्रदेश विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा उच्च दाब के विद्युत् कनेक्शन स्वीकृत करना	30 दिवस
6	अतिरिक्त उच्च दाब लाईन स्वीकृत करना	60 दिवस
7	कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन स्थल का अनुमोदन तथा भवन निर्माण करने के लिए अनुमति.	90 दिवस
8	उद्योग विभाग से भूमि आवंटन— (एक) आशय-पत्र (दो) आवंटन पत्र (तीन) पट्टा विलेख का क्रियान्वयन (चार) भूमि का आधिपत्य	15 दिवस 30 दिवस 30 दिवस 07 दिवस
9	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम से जल प्रदाय के लिये सहमति	07 दिवस
10	उद्योग विभाग द्वारा राजस्व विभाग को आवंटित की गई भूमि का आवंटन किया जाना	120 दिवस
11	प्राकृतिक संसाधनों से जल निकाले जाने के लिए अनुशंसा : (क) जिला स्तरीय समिति से (ख) औद्योगिक जल उपयोगिता समिति (ग) राज्य स्तरीय जल उपयोगिता समिति	30 दिवस 60 दिवस 90 दिवस
12	स्थानीय निकाय से भवन निर्माण के लिये अनुमति	30 दिवस

● विहित निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति करने पर समय-सीमा लागू होगी.

● नोडल एजेन्सी से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से विहित समय-सीमा प्रारंभ होगी.

NOTICE

The following draft of rules, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 read with Section 15 and 17 of the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008 (No. 21 of 2008) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 20 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the official Gazettee.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Investment Facilitation (Combined Application Form and Time Limit for Processing of Applications) Rules, 2010.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008 (No. 21 of 2008);
- (b) “Apex Level Committee” means a Apex Level Investment Promotion Empowered Committee constituted by the State Government under Section 3 of the Act; .
- (c) “Combined Application Form” referred to CAF in short, means the Form comprising of various parts / forms relating to different departments / agencies as provided under Section 15 of the Act and specified in Form A appended to these rules;
- (d) “concerned agency” means a corporation/ board or any such entity’ functioning under any department of the Government of Madhya Pradesh, which provides various clearances/ consents to the investor’s proposal under the Act;
- (e) “concerned department” means a department of the Government of Madhya Pradesh, which provides various clearances/ consents to the investor’s proposal under the Act;
- (f) “District Level Committee” means the District Level Investment Promotion Empowered Committee constituted by the State Government under Section 9 of the Act;
- (g) “local body” means a Municipal Corporation constituted under the Madhya Pradesh Municipal Corporations Act, 1956 (No 23 of 1956), a Municipal Council or a Nagar Panchayat constituted under the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), or a Gram Panchayat constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhinyam, 1993 (No. 1 of 1994), as the case may be;
- (h) “Madhya Pradesh Vidyut Vitran Company” means the wholly owned Madhya Pradesh Government Company registered under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956)for the purpose of undertaking the activities of retail supply of the electricity;
- (i) “Self-Certification” means the authentication of the information presented by the applicant himself, in the Form given in Combined Application Form appended to these rules in Form A;
- (j) “State Level Committee” means the State Investment Empowered Committee constituted by the State Government under Section 6 of the Act;
- (k) “Time Limit” means the number of working days within which a decision has to be taken by the competent authority, from the date of receipt of application as specified in Annexure I appended to these rules.

(2) All other words and expressions used, but not been defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Combined Application Form.**—(1) Combined Application Form, referred to as CAF in short, is a set of forms comprising of various forms/ sections relatable to departments/agencies to which applicant wants to apply under the Act. Part - A of the CAF is General Project Information in which the applicants are required to submit basic information of the project. Part-B carries the forms which are prescribed by the concerned departments/ agencies to obtain the necessary clearances / consents.

(2) Complete set of printed CAF will be available at the office of the designated Nodal Agencies. CAF can also be downloaded from the website of the Nodal Agency.

(3) The applications, which are not the part of CAF, can be submitted along with CAF in the form prescribed by the concerning department/agency under relevant laws or rules for such clearance. These, applications shall be treated as a part of CAF.

(4) An application on plain paper along with necessary information and enclosures shall also form part of CAF where no application form is prescribed by the concerned department / agency for issuing consent/ clearance/ approval.

4. **Fee.**—(1) The Nodal Agencies can charge application fee for CAF from the applicants for facilitation under the Act. The application fee shall be specified and can be revised, from time to time by the TRIFAC with due consent of the Department of Commerce, Industry and Employment, Government of Madhya Pradesh.

(2) In addition to the application fee, the Nodal Agency shall receive the necessary fee separately as applicable, chargeable by the concerned departments/ agencies along with the Combined Application Form (CAF).

5. **Procedure.**—(1) An Investor who intends to set-up a project or who is planning expansion, diversification, modernization in an existing unit and who is desirous of seeking consent/clearance from concerned departments/ agencies may apply on Combined Application Form (CAF) .

(2) The Combined Application Form and the additional application form, if any, duly filled up, shall be submitted to the District level or the State level nodal agency, as the case may be.

(3) Every applicant shall furnish "Self-Certification" in the prescribed form at the time of submitting the duly completed Combined Application Form. The "Self Certification" furnished by the applicant shall be accepted by the departments/ agencies for the purpose of issuing and granting clearances/ approval/ permission,

(4) The designated Nodal Agency shall scrutinize the application and forward the relevant part of form to the concerned department/ agency within three working days. The concerned department/ agency shall, on receipt of such part application from Nodal Agency, stall dispose off the same within the time limit as specified in Annexure I.

(5) Concerned department/ agency shall intimate to the nodal agency concerned, from time to time, regarding decision taken in respect of each application. In case, any application is rejected by the concerned department/agency, it shall be communicated to the applicant within the prescribed time limit as specified in Annexure I, with proper reasons under intimation to the Nodal Agency.

(6) In case of incomplete application filed by the applicant, the concerned department/agency will inform the applicant within seven days to complete the same under intimation to the Nodal Agency. The concerning department/ agency may also ask for any additional necessary information from the applicant, provided that such additional information is asked for all at one time.

(7) Designated Nodal Agency shall submit information of the cases before the appropriate committee which have not been decided by the concerned department/agency within the prescribed time limit, on the expiry of the prescribed time limit for disposal of the cases. The appropriate committee shall take the appropriate decision, which shall be communicated to the investor and the departments or authorities concerned by the nodal agency. The committee may also fix responsibility for delay caused by the department/ agency in disposal of cases and recommend appropriate action against the person concerned for such delay.

(8) An investor desirous of seeking specific/ special facilitation and which is not covered by CAF, may submit his proposal to the concerned Nodal Agency. The Nodal Agency shall forward such proposal to the concerned department/agency within three working days and ask for their opinion in fifteen days. On receipt of the opinion from the department/agency, the Nodal Agency shall bring such proposals before the concerned committee along with opinion received from department/agency for appropriate facilitation. The Nodal Agency shall communicate the final decision of the committee to the applicant.

6. **Monitoring.**—(1) Nodal Agencies shall monitor the entire process through which consent/clearance is being granted to the applicant by the concerned departments/agencies.

(2) As Nodal Agencies are the Single Window Clearance Centres to facilitate the applicant, it is therefore, necessary for them to monitor the entire process being adopted by the concerned departments/agencies so that time bound action can be ensured and unnecessary delay can be avoided.

(3) In case of any problem or difficulty faced by the applicant or by the concerned department/agency, the same shall be brought before the appropriate committee by the Nodal Agency.

7. **Appeal.**—(1) On being aggrieved or dissatisfied by the decision of the District/State Level Committee, the applicant may file an appeal to the next higher committee for consideration. In case the applicant is aggrieved by the decision of the Apex Level Committee, he may request Apex Level Committee to review its decision. Appeal to the next higher committee and request to review its own decision by Apex Level Committee should be made within 30 days of the intimation of the decision.

(2) The Apex Level Committee and the State Level Committee may consider the proposals which are referred to it by the State Level Committee or District Level Committee, respectively for appropriate decision. The option for appeal or review, as the case may be, shall be available only once.

8. **General.**—(1) Each Nodal Agency shall designate an officer by name for dealing with the proposal of an applicant, for facilitation under the Act.

(2) The applicants can also apply directly to the concerned departments/agencies for obtaining necessary clearances/consents. On receipt of such applications, the concerned departments/agencies shall dispose the same within the time limit as prescribed under these rules.

(3) In case of any dispute arising due to interpretation of the rules, the same shall be referred to the Apex Level Committee and its decision shall be final and binding to all concerned.

(4) All concerned departments/ agencies shall appoint nodal officer(s) for effective and timely disposal of the applications.

(5) Department of Commerce, Industry and Employment shall be authorized to amend/ or modify Combined Application Form if needed, from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

FORM-A
(See rule 3)

COMBINED APPLICATION FORM (CAF) WITH INSTRUCTIONS INDEX

S.No.	PARTICULARS
1.	INSTRUCTIONS
2.	LETTER FROM THE APPLICANT
3.	COMBINED APPLICATION FORM
(1)	Part A General Information
(2)	Part-B
(i)	CAF-1 Environment Clearance
(ii)	CAF-2(A) & (B) Power Connection for L.T. & H.T.
(iii)	CAF-3 Approval of place and for permission to construct building under the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948)
(iv)	CAF-4 Land allotment
(v)	CAF-5 Water supply
(vi)	CAF-6 Application for allotment of water to be drawn from Natural Resources
(vii)	CAF-7 Permission from local bodies for the construction of building
1.	Declaration
2.	Acknowledgement

COMBINED APPLICATION FORM INSTRUCTIONS

FOR FILLING THE COMBINED APPLICATION FORM (CAF) UNDER THE MADHYA PRADESH
INVESTMENT FACILITATION (COMBINED APPLICATION FORM AND TIME LIMIT FOR PROCESSING
OF APPLICATION) RULES, 2010

Please see the following instructions carefully before submitting CAF:

1. Investors, who intend to setup a new project or proposed to expand/ diversify / modernize their existing industry and are desirous of seeking consent / clearance from various departments / agencies, may apply in the Combined Application Form (CAF).
2. CAF consists two parts i.e., Part -A and Part-B. In Part - A applicants are required to provide General and basic information of the project. In Part-B applicants are required to furnish the particulars required for obtaining necessary clearance / consent from the concerned departments .
3. Applicants proposing fixed investments up to Rs. 10.00 Crores are required to submit CAF to the designated Nodal Agency i.e. District Trade and Industries Centre (DTIC), of the district/ area in which the project is proposed to be set-up.
4. Applicants proposing fixed investments above Rs. 10.00 Crores are required to submit CAF to the designated Nodal Agency i.e. Madhya Pradesh Trade and Investment Facilitation Corporation Ltd (MP TRIFAC) AVN Towers, 192 M.P.Nagar Zone-1 Bhopal -462011.
5. Complete set of printed CAF can be obtained from the Nodal Agencies i.e. MP TRIFAC/ DTICs, on payment of Rs 250.00. CAF can also be downloaded from the websites-www.mp trifac.org or www.mpindustry.org.

6. Applicants are required to pay application fee along with the CAF as follows:

S.No	Proposed Fixed Investment in the Project	Application Fee in Rs.
1.	Up to Rs. 1.00 Crore	500
2.	Above Rs. 1.00 Crores up to Rs. 10.00 Crores	2000
3.	Above Rs. 10.00 Crores up to Rs. 25.00 Crores	5000
4.	Above Rs. 25.00 Crores	10,000

7. In addition to the application fee as mentioned in Para-6, the CAF must be accompanied by the necessary fee for various clearances separately, chargeable by the concerned departments/agencies. The bankers cheque/ demand draft/challan (as applicable) for the fee shall be enclosed with the CAF but will be payable to the concerning departments/agencies only.

8. Applicants are required to fill up and submit only those application forms which are applicable to their project. (It is not necessary to fill all application forms which are a part of CAF.)

9. Applicants may submit the CAF to designated officer at the office of MP TRIFAC or DTIC or can send through the Registered post. Designated officer shall examine the CAF in terms of:—

- (i) Complete number of sets are enclosed
- (ii) Prescribed fee is enclosed
- (iii) Necessary enclosures are appended.
- (iv) Applications are filled up completely and duly signed by the authorized signatory. Certified copy of Power of Attorney is enclosed.
- (v) In case of company, Board Resolution of the company stating about their decision of setting up of plant, is enclosed.
- (vi) All documents enclosed should be self attested.

10. In the absence of prescribed fee and necessary enclosures, applications shall be treated as incomplete and will not be considered.

11. The applications received for obtaining clearances/consents shall be disposed of in accordance with the rules and guidelines under the relevant Acts. The time frame for the disposal of the applications would be, as described in Annexure-I.

12. The enclosures and particulars, which are the part of CAF, shall be self-certified by the applicant.

13. In the event of vague, misleading or incorrect information, the applicant shall be solely responsible for the consequences under section 18(1) of Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008.

14. If any consent/clearance is not covered by CAF, the applicant may submit an additional application along with the CAF in the form prescribed by the concerning departments/agencies under relevant laws for such clearance.

15. The applicant may submit application on plain paper along with necessary information and enclosures where no application form is prescribed by the concerned department/agency for issuing consent/clearance.

16. Applicants if they so wish, can directly apply to the concerned departments/agencies for obtaining necessary clearances/consents. The concerned departments/agencies shall dispose of such applications in the time limit as prescribed under the Madhya Pradesh Investment Facilitation (Combined Application Form and Time Limit for Processing of Application) Rules, 2010.

LETTER FROM THE APPLICANT

To,

Managing Director,
MP TRIFAC,
AVN Tower, 192
Zone-I, M.P.Nagar
Bhopal-11

General Manager,
District Trade & Industries
Centre

District

Sub: Submission of Combined Application Form (CAF)

Sir,

We intend to setup a new project / expand / diversify / modernize our existing project at . .
. District with an investment of
Rs.

Please find enclosed herewith the Part 'A' & Part 'B' of Combined Application Form (CAF)
duly filled. We now request you to facilitate us in obtaining clearances/consents as described in
CAF under the provisions of the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008.

Yours faithfully

Signature
(Authorized Signatory)

Date :

Place :

Name

Designation

Company

Enclosures :

- (i) Combined Application Form (Part A & B)
- (ii) Declaration
- (iii) List of supporting documents enclosed

COMBINED APPLICATION FORM (CAF)-Part-A

General Project Information :—

1. NAME OF THE APPLICANT:
2. NAME OF THE PROJECT:
3. PROPOSED LOCATION:
4. FULL ADDRESS—

Registered Office	Corporate Office	Local Office
Tel:	Tel:	Tel:
Fax:	Fax:	Fax:
Email:	Email:	Email:

Address for correspondence :—

5. DETAILS OF THE PROPRIETOR / PARTNERS / PROMOTERS / DIRECTORS OF THE COMPANY:

S.No.	Name	Designation	Address	Telephone No.	Fax/Email
1					
2					
3					
4					
5					

6. NAME AND ADDRESS OF THE PROJECT HEAD / CEO :

Name	Designation	Address	Telephone No.	Fax/Email

7. PARTICULARS OF THE CONTACT PERSON :

Name	Designation	Address	Telephone No.	Fax/Email

8. CONSTITUTION OF THE FIRM/
(Please tick mark):

S.No	FIRM/COMPANY	Please tick (✓)
1	Proprietorship	
2	Partnership	
3	Pvt. Ltd.	
4	Public Ltd.	
5	Others Please specify	

9. CATEGORY OF THE PROPOSED PROJECT:

S.No.	Category	Please tick(✓)
1	Industry (a) Micro (b) SSI (c) Medium (d) Large	
2	Service	
3	Others	

10. NAME OF THE PROPOSED ITEM OF MANUFACTURE/SERVICES:

S. No.	Name of the Item/Service	Proposed Capacity (Per Annum)
1		
2		
3		
4		
5		
-		
-		
-		

11. PROPOSED INVESTMENT:

Particulars	Value (Rs. in lacs)
(i) Land & Site Development	
(ii) Building	
(iii) Plant & Machinery	
(a) Indigenous	
(b) Imported	
(iv) Electrical Installations	
(v) Investment on Captive Power Generation (if any)	
(vi) Other fixed Assets	
Total Fixed Investment	
(vii) Preliminary & Pre-operative Expenses	
(viii) Margin for Working Capital	
Total Project Cost	

12. MEANS OF FINANCE:

S.No.	PARTICULARS	(Rs. in Lakhs)
1	Share Capital	
2	Term Loan from Financial Institutions/Banks	
3	Unsecured Loan	
4	Others (if any) SUBSIDY	
5	TOTAL	

13. TOTAL LAND REQUIREMENT FOR THE PROPOSED PROJECT:

14. POWER REQUIREMENT:

- (i) HT / LT Connection
(ii) Required load:

15. ESTIMATED WATER REQUIREMENT:
(In kilo liter/per day) .

16. PROPOSED EMPLOYMENT:

- Managerial:
- Supervisory:
- Skilled:
- Unskilled:

17. PARTICULARS OF ENTREPRENEURIAL MEMORANDUM (Part-I & II) /SIA .
ACKNOWLEDGEMENT / INDUSTRIAL LICENSE (PLEASE ENCLOSE COPIES):

No. / Date	Name of the Product	Issuing Authority	Valid up to
------------	---------------------	-------------------	-------------

18. EXPECTED DATE OF COMMENCEMENT OF PRODUCTION / SERVICES:

19. PARTICULARS OF MOU/EOI SIGNED WITH GOVERNMENT DEPARTMENTS/ AGENCIES IF ANY (Copy to be enclosed):

20. WHETHER PROJECT HAS BEEN CLEARED BY PROJECT CLEARANCE AND IMPLEMENTATION BOARD (PCIB) -DETAILS THEREOF IF APPLICABLE:

21. ANY OTHER INFORMATION RELATED TO THE PROJECTS:

(Authorized Singatory)

Name :
Address :
Phone No. :
Mobile :
E-mail :

Note—1. Applicants are required to submit one set of General Project Information (Part - A only) along with each and every application forms for obtaining clearances/consents from various departments. In addition to this one extra set of General Project Information (Part-A only) should be submitted to the Nodal Officer for the record.

2. Separate sheet may be attached along with General Project Information, if required.

COMBINED APPLICATION FORM - Part B

Abstract of Application Forms, which are annexed with CAF for obtaining clearances

S. No.	Clearance	Combined Application Form Number	Department/ Agency	Application enclosed (YES/NO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Environment Clearance (Consent for Air and Water Pollution)	CAF-1	State Environmental Impact Assessment Agency	
2	Electricity Connection: HT Connection LT Connection	CAF-2(A)&(B)	Concerned Vidyut Vitran Company	
3	Approval of place and for permission to construct building under the Factories Act.	CAF-3	Labour Department	
4	Land allotment	CAF-4	Concerned District Trade & Industries Centre (DTIC)/ Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (MP AKVN)	
5	Water Supply	CAF-5	Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (MP AKVN)	
6	Allotment of Water proposed to be drawn from Natural Resources	CAF-6	Water Resources Department	
7	Permission from local bodies for the construction of building	CAF-7	Nagar Palika/Nagar Nigam	
8	Others			

Authorised Signatory

Environmental Regulatory Requirement

1. Consent under the Water (Prevention and Control of Pollution), Act 1974 and u/s 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution), Act 1981:—All the industries, institutions, local bodies & mines including the industries listed in the EIA notification, 2006, are required to obtain the consent under Water & Air Act, except the activities in SSI sector enlisted under simplified procedure for the consent, issued by the State Govt. vide order 21/1/08: The procedure for obtaining consent is as follows :—

I. Medium / Major Industries/Institution/Municipal Corporations/ mines having area 5.0 hact or more:— The Consent is given in two parts (a) Permission to establishment (b) Consent for Operation. After issuance of the Consent to operate for a fixed period it is required to be renewed regularly.

Permission to Establish:— The application for Permission to establish u/s 25/26 of the Water ,(Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and u/s 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 is submitted at Head Office of the Board, Bhopal in the prescribed format.

Consent for Operation:—The application u/s 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution), Act 1974 and u/s 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 is to be submitted at Head Office of the Board, Bhopal in the prescribed format with detail information and compliance status of the conditions laid down in the Permission to establish.

Renewal of the Consent:—The consent to operate or the renewal of consent is given for a fixed period. The consent is required to be renewed before the expiry of the validity. The .application for the renewal of consent u/s 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and u/s 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, is to be submitted at Head Office of the Board, Bhopal in the prescribed format and necessary consent renewal fee.

II. Small Scale Industries / Institutions:—

The industries/Institutions under SSI category that are not exempted from the consent:— The powers forgrant of consent or the renewal of consent for Small Scale Industries/ Institutions including mines having mining lease area less than five hectare, local authorities except the Municipal Corporations has been delegated to the Regional Officers of the Board. The application for the Consent or the renewal of Consent u/s -25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and U/S 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, in the prescribed fomate and necessary Consent / Consent renewal fee.

The industries/Institutions under SSI category that are covered under simplified procedure of the consent:— The activity / industry enlisted under simplified procedure of the consent issued by the State Govt. vide their order 21/1/08, is required to submit an application in the prescribed format. The acknowledgement is treated as the consent under the relevant Acts as per the provisions of simplified procedure.

2. Authorization under Hazardous Wastes (Management, Handling and Trans-boundary Movement) Rules, 2008:—

Medium / Major Industries / Institution / Municipal Corporations / mines having area 5.0 hact or more are required to submit application for Authorization under Hazardous Wastes (Management, Handling and Trans-boundary Movement) Rules, 2008 at head office of the Board with the applicable administrative charges (if covered).

The powers for grant of the Authorization under Hazardous Wastes (Management, Handling and transboundary Movement) Rules, 2008, for Small Scale Industries / Institutions including mines having mining lease area less than five hectare, local authorities except the Municipal Corporations has been delegated to the Regional Officers of the Board.

3. Environmental Clearance under EIA Notification 2006

Industries or activities listed in the Schedule of the EIA Notification 2006:— The industries / activities listed in the Schedule of the EIA Notification, 2006 are required to obtain Environmental Clearance from MoEF or State Environmental Impact Assessment Agency (SEIAA) as per the provisions of the notification.

- (a) The industries or activities listed in the category 'A' of the Schedule of the EIA Notification are required to obtain Environmental Clearance from MoEF.
- (b) The industries or activities listed in the category 'B' of the Schedule of the EIA Notification, 2006, is required to obtain Environmental Clearance from the State Environmental Impact Assessment Agency.

Note:—For the online application please visit the official website of the Board. The consent application forms under Water/Air Act with detail of the consent fee are also available on the official website of the Board, i.e. www.mppcb.nic.in/Divisions / Technial / Consentmanagement.

Process for grant of Prior Environmental Clearance to the Industrial Units

1. An Entrepreneur interested
 - to put up a new industry
 - for expansion/modernisation of the existing industry
 - to change the process / technology in the existing industry or
 - to change the location of an operating industry

(The industry / process/ activity enlisted in the Schedule of EIA notification 2006 has to obtain prior environmental clearance from MoEF (Gol) or SEIAA, as the case may be please referred to the enclosed Schedule of the notification)

2. The submitted application for the environmental clearance forwarded to the SEAC by SEIAA after technical review for screening and scoping, whereby the project proponent is required to present the salient features of the proposed project and the proposed TOR to carried out the EIA/ EMP of the proposed site before the experts of SEAC. The query raised by the SEAC has to be replied by the PP on the spot.

3. If SEAC is satisfied with the submission, final TOR is approved and issued to the PP to carry out the EIA and prepare EMP.

4. Based on the TOR the final EIA /EMP is submitted to the State Pollution Control Board to conduct the public hearing (if required). The final EIA/EMP is prepared after incorporation of the objections and suggestions received during the public hearing.

5. The application with the final EIA / EMP is submitted to MoEF (Gol) or SEIAA, as the case may be, for environmental clearance. All queries are to be answered by the proponent alongwith supporting documents before the appraisal committee.

Consent under Water / Air (Prevention and Control of Pollution) Acts

All the industries, institutions, local bodies & mines including the industries listed in the EIA notification, 2006, are required to obtain the consent under Water & Air Act, except the activities in SSI sector enlisted under simplified procedure for the consent, issued by State Govt. Vide order 21/1/08.

Particulars required by State Environmental Impact Assessment Agency (SEIAA) to issue Environment Clearance under Protection of Environment Act

FORM 1**(I) Basic Information:**

Name of the Project:

Location/site alternatives under consideration:

Size of the Project:

Expected Cost of the Project:

Contact Information:

Screening Category:

*Capacity corresponding to sectoral activity (such as production capacity for manufacturing, mining lease area and production capacity for mineral production, area for mineral exploration, length for Linear transport infrastructure, generation capacity for power generation etc.,)

(II) Activity—

1. Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No.	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan).		
2	Clearance of existing land, vegetation and buildings		
3	Creation of new land uses		
4	Pre-construction investigations e. g. bore houses, soil testing		
5	Construction works?		
6	Demolition Works		
7	Temporary sites used for construction works of Housing of construction workers		
8	Above ground buildings, structures or earth works including linear structures, cut and fill or excavations		

(1)	(2)	(3)	(4)
9	Underground works including mining of tunneling		
10	Reclamation works		
11	Dredging		
12	Offshore structures		
13	production and manufacturing processes?		
14	Facilities for storage of goods or materials		
15	Facilities for treatment or disposal of solid water or liquid effluents		
16	Facilities for long term housing of operation workers		
17	New road, rail or sea traffic during construction or operation		
18	New road, rail, air, waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and stations, ports, airports etc.		
19	Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements		
20	New or diverted transmission lines or pipelines		
21	Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the hydrology or watercourses or aquifers		
22	Stream crossings		
23	Abstraction or transfers of water from ground or surface waters		
24	Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off		
25	Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning		
26	Long-term dismantling or decommissioning or restoration works		
27	Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment		

(1)	(2)	(3)	(4)
28	Influx of people to an area in either temporarily or permanently		
29	Introduction of alien species		
30	Loss of native species or genetic diversity		
31	Any other actions		

2. Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply):

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No.	Details thereof (with approximate quantities/ rates, wherever possible) with source of information data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Land especially undeveloped or agricultural land (ha)		
2	Water (expected source & competing users unit; KLD)		
3	Minerals (MT)		
4	Construction material-stone, aggregates, and/ soil (expected source-MT)		
5	Forests and timber (source-MT)		
6	Energy including electricity and fuels (source, competing users) Unit; fuel (MT), energy (MW)		
7	Any other natural resources (use appropriate standard units)		

3. Use storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No.	Details thereof (with approximate quantities/ rates, wherever possible) with source of information data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Use of substances or materials, which are hazardous (as per MSIHC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies)		
2	Changes in occurrence of disease or affect diseases vectors (e.g. insect or water borne diseases)		

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions?		
4	Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients, children, the elderly etc.,		
5	Any other causes		

4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning (MT/month)

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No.	Details thereof (with approximate quantities/ rates, wherever possible) with source of information data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	spoil, overburden or mine wastes		
2	Municipal waste (domestic and or commercial wastes)		
3	hazardous wastes (as per Hazardous Waste Management Rules)		
4	Other industrial process wastes		
5	Surplus product		
6	Sewage sludge or other sludge from effluent treatment.		
7	Construction or demolition wastes		
8	Redundant machinery or equipment		
9	Contaminated soils or other materials		
10	Agricultural wastes		
11	Other Solid wastes		

5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr)

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No.	Details thereof (with approximate quantities/ rates, wherever possible) with source of information data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources		
2	Emissions from production processes		

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Emissions from materials handling including storage or transport		
4	Emissions from construction activities including plant and equipment		
5	Dust or odours from handling of materials including construction materials sewage and waste		
6	Emissions from incineration of wastes		
7	Emissions from burning of waste in open air (e.g. slash materials, construction debris)		
8	Emissions from any other sources		

6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat.

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No.	Details thereof (with approximate quantities/ rates, wherever possible) with source of information data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	From Operation of equipment e. g. engines, ventilation plant, crushers		
2	From industrial or similar processes		
3	From construction or demolition		
4	From blasting or piling		
5	From construction or operation traffic		
6	From lighting or cooling systems		
7	From any other sources		

7. Risks of contamination of land or water from release of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, ground water, coastal waters of the sea:

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No.	Details thereof (with approximate quantities/ rates, wherever possible) with source of information data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	From handling, storage, use or spillage of hazardous materials		
2	From discharge of sewage or other effluents to water or the land (expected mode and place of discharge).		

(1)	(2)	(3)	(4)
3	By desposition of pollutants emitted to air into the land or into water		
4	From any other sources		
5	Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources		

8. Risks of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No.	Details thereof (with approximate quantities/ rates, wherever possible) with source of information data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	From explosions, spillages, fires etc. from storage, handling, use or production of hazardous substances		
2	From any other causes		
3	Could the project be affected by natural disasters causing environmental damage (e. g. floods, earthquakes, landslides, cloud - bursts etc)?		

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No.	Details thereof (with approximate quantities/ rates, wherever possible) with source of information data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lead to development of supporting disabilities, ancillary development or development stimulated by the project which could have impact on the environment e.g.:— Supporting infrastructure (roads, power, supply, waste or waste water treatment, etc.) housing development extractive industries supply industries other		
2	Lead to after-use of the site, which could have an impact on the environment		

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Set a precedent for later developments		
4	Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects		

(III) Environmental Sensitivity :

S. No.	Areas	Name/ Identity	Aerial distance (within 15 km.) Proposed project location boundary
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value		
2	Areas which are important or sensitive for ecological reasons-Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests		
3	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration		
4	Inland, coastal, marine or underground waters		
5	State, National boundaries		
6	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas		
7	Defence installations		
8	Densely populated or built-up area		
9	Areas occupied by sensitive man-made land uses (<i>hospitals, schools, places of worship, community facilities</i>)		
10	Areas containing important high quality or scarce resources (<i>ground water resources, surface resources, forestry, agriculture fisheries, tourism, minerals</i>)		
11	Areas already subjected to pollution or environmental damage. (<i>those where existing legal environmental standards are exceeded</i>)		

(1)	(2)	(3)	(4)
12	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions)		

(IV) Proposed Terms of Reference for EIA studies

**Name & Signature of the
Authorised Signatory**

ENCLOSURES REQUIRED :

Copy of Registration from the Industry Department.

Copy of land allotment

Copy of project report

Conceptual plan

Map showing location of the proposed industry and micro-level features in 5Km. Radius around the industry.

Note.—Application to be submitted in duplicate.

LIST OF PROJECTS OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE

Project or Activity	Category with threshold limit		Conditions any
	A	B	
1	Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity.		
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
1(a) Mining of Minerals	<p>≥ 50 ha. of mining lease area</p> <p>Asbestos mining irrespective of mining area.</p>	<p>< 50 ha</p> <p>≥ 5 ha. of mining Lease area.</p>	<p>General Condition shall apply</p> <p>Note</p> <p>Mineral prospecting (no involving drilling) are exempted provided the concession areas have not previous clearance for physical survey.</p>
1(b) Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production.	All projects		<p>Note</p> <p>Exploration Surveys (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(c)	River Valley Projects	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation; (ii) $\geq 10,000$ ha. of culturable command area.	(i) < 50 MW ≥ 25 MW hydroelectric power generation; (ii) $< 10,000$ ha. of culturable command area.	General condition shall apply.
1(d)	Thermal Power Plants	(i) ≥ 500 MW (coal/lignite/naphta & gas based); (ii) ≥ 50 MW (Pet coke diesel and all other fuels-)	(i) < 500 MW (coal/lignite/naphta & gas based); < 50 MW ≥ 25 MW (Pet coke diesel and all other fuels-)	General condition shall apply.
1(e)	Nuclear power projects and processing of nuclear fuel	All projects		
2			Primary Processing	
2(a)	Coal washeries	≥ 1 million ton/annum throughput of coal	< 1 million ton/annum throughput of coal.	General condition shall apply. (If located within mining area the proposal shall be appraised together with the mining proposal)
2(b)	Mineral beneficiaries	≥ 0.1 million ton/annum throughput	< 0.1 million ton/annum mineral throughput.	General condition shall apply. (Mining proposal with Mineral beneficiation shall be appraised together for grant of clearance)
3			Materials Production	
3(a)	Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)	(a) Primary metallurgical industry All projects (b) Sponge iron manufacturing ≥ 200 TPD	Spongeiron manufacturing < 200 TPD.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(c) Secondary metallurgical processing industry	Secondary metallurgical processing industry	General Condition shall apply for Sponge iron manufacturing
		All toxic and heavy metal producing units $\geq 20,000$ tonnes/annum	(i) All toxic metal producing units and heavy metal producing units $< 20,000$ tonnes/annum	
			(ii) All other non-toxic secondary metallurgical processing industries > 5000 tonnes/annum	
3(b)	Cement plants	≥ 1.0 million tonnes/annum production capacity	< 1.0 million tonnes/annum production capacity. All stand alone grinding units	General Condition shall apply.
4	Materials Processing			
4 (a)	Petroleum refining industry	All projects	—	—
4 (b)	Coke oven Plants	$\geq 2,50,000$ tonnes/annum	$< 2,50,000$ & $\geq 25,000$ tonnes/annum	—
4 (c)	Asbestos milling and asbestos based products	All projects	—	—
4 (d)	Chlor-alkali industry	≥ 300 TPD production capacity or a unit located out side the notified industrial area/estate	< 300 TPD production capacity And located within a notified industrial area/estate	Specific condition shall apply No new mercury Cell based plants will be permitted and existing units converting to membrane cell technology are exempted from this Notification
4 (e)	Soda ash Industry	All projects	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4 (f)	Leather/Skin/hide processing industry	New projects outside the industrial area or expansion of existing units out side the industrial area.	All new or expansion of projects located within a notified industrial area/estate	Specific condition shall apply
5	Manufacturing/Fabrication			
5 (a)	Chemical fertilizers	All projects	—	—
5 (b)	Pesticides industry and pesticide specific intermediates (excluding formulations)	All units producing technical grade pesticides	—	—
5 (c)	Petro-chemical complexes (industries based on processing of petroleum fractions & natural gas and/or reforming to aromatics)	All projects	—	—
5 (d)	Manmade fibres/ manufacturing	Rayon	Others	General Condition shall apply
5 (e)	Petrochemical based processing (processes other than cracking & reformation and not covered under the complexes)	Located outside the notified industrial area/ estate	Located in a notified industrial area/estate	Specific Condition shall apply
5 (f)	Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates)	Located outside the notified industrial area/ estate	Located in a notified industrial area/estate	Specific Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5 (g)	Distilleries	(i) All Molasses based distilleries (ii) All Cane juice/non-molasses based distilleries \geq 30KLD	All Cane juice/non-molasses based distilleries < 30 KLD	General Condition shall apply
5 (h)	Integrated paint industry	—	All projects	General Condition shall apply
5 (i)	Pulp & paper industry excluding manufacturing of paper from waste paper and manufacture of paper from ready pulp with out bleaching	Pulp manufacturing and Pulp & Paper manufacturing industry	Paper manufacturing industry without pulp manufacturing	General Condition shall apply
5 (j)	Sugar Industry	—	\geq 5000 tcd cane crushing capacity.	General Condition shall apply
5 (k)	Induction/arc furnaces/cupola furnaces 5TPH or more	—	All projects	General Condition shall apply
6	Service Sector			
6 (a)	Oil & gas transportation pipe line (crude and refinery/ petrochemical products), passing through national parks/sanctuaries/coral reefs/ecologically sensitive areas including LNG Terminal	All projects	—	—
6 (b)	Isolated storage & handling of hazardous chemicals (As per threshold planning quantity indicated in column 3 of schedule 2 & 3 of MSIHC Rules 1989 amended 2000)	—	All projects	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7		Physical Infrastructure including Environmental Services		
7 (a)	Air Ports	All projects	—	—
7 (b)	All ship breaking yards including ship breaking units	All projects	—	—
7 (c)	Industrial estates/parks/complexes, areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes	If at least one industry in the proposed industrial estate falls under the Category A, entire industrial area shall be treated as Category A, irrespective of the area. Industrial estates with area greater than 500 ha. and housing at least one category B industry.	Industrial estates housing at least one Category B industry and area < 500 ha Industrial estates of area >500 ha. and not housing and industry belonging to Category A or B	Special condition shall apply Note.—Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of category A or B does not require clearance.
7 (d)	Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)	All integrated facilities having incineration & landfill or incineration alone	Any facilities having land full only	General Condition shall apply.
7 (e)	Ports, Harbours	≥ 5 million TAP of cargo handling capacity (excluding fishing harbours)	< 5 million TPA of cargo handling capacity and/or ports/harbours ≥ 10,000 TPA of fish handling capacity.	General Condition shall apply
7 (f)	High ways	(i) New National High ways; and (ii) Expansion of National High ways greater than 30 KM, involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition and passing through more than one State.	(i) New State High ways; and (ii) Expansion of National/State Highways greater than 30 km involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition.	General Condition shall apply
7 (g)	Aerial ropeways	—	All projects	General Condition shall apply
7 (h)	Common Effluent Treatment Plants (CETPs)	—	All projects	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7 (i)	Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF)	—	All projects	General Condition shall apply
8	Building/Construction projects/Area Development projects and Townships			
8 (a)	Building and Construction projects	—	≥ 20000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs. of built-up area#	#(built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area)
8 (b)	Townships and Area Development projects.	—	Covering an area ≥ 50 ha and or built up area ≥1,50,000 sq. mtrs++	++All Projects under Item 8(b) shall be appraised as Category B1

Note.—

General condition (GC) : Any project or activity specified in Category “B” will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) inter-State boundaries and international boundaries.

Specific Condition (SC) : If any Industrial Estate/Complex/Export processing Zones/Special Economic Zones/Biotech Parks/Leather Complex with homogeneous type of industries such as Items 4(d), 4(f), 5(e), 5(f), or those Industrial estates with pre-defined set of activities (not necessarily homogeneous, obtains prior environmental clearance, individual industries including proposed industrial housing within such estates/complexes will not be required to take prior environmental clearance, so long as the Terms and Conditions for the industrial estate/complex are complied with (Such estates/complexes must have a clearly identified management with the legal responsibility of ensuring adherence to the Terms and Conditions of prior environmental clearance, who may be held responsible for violation of the same throughout the life of the complex/state).

CAF-3

Application for approval of Place and for permission to construct/extend/or take into use any Building as a factory [Strike out which is not applicable]

1. Applicant's Name
.....
2. Address of the applicant on which he desires
.....
to be communicated in this regard
.....
3. Full name & postal address of factory
.....

4. Situation of the factory located/to

 be located on the Road/Railway
 at town/village of
 Tehsil District
5. The manufacturing process
- [A] To be carried (if new factory)/being carried (if exist) (give description)
- [B] Whether it involves hazardous processes as interpreted under section 2(cb) of the Factories Act (give details)
- [C] If yes for (B), whether approval of site has been obtained from the State Govt. (give details)
- [D] Whether it involves fully or partly any dangerous operation as declared under section 87 of the Factories Act (give details)
- [E] If yes for (D). Whether provisions of installations/arrangement to be made according to the relevant Schedule have been incorporated in the plan
6. [A] Number of workers to be employed in each room of the factory
- [B] Whether provision of amenities & facilities required to all workers according to the Act and the rules made there under have been taken care of in the plans
7. [A] Whether lifts/hosts/lifting machines of any kind installed/to be installed/in the plan give details
- [B] If yes for (A) whether provisions according to the Act and the rules made thereunder have been taken care of in the plan (give details)
8. [A] Whether any worker will be required to work at different floors or at a height from where he is likely to fall or work at a congested place to machines or fittings or in acytinided pit or sumps? (give details)
- [B] If yes for (A) whether provisions according to arrangement to be made for access escape and ensure safety in accordance to the Act and the rules thereunder have been taken care of in the plans? (give details)
9. Whether there is any possibility of escape of dangerous fumes/gases or explosion? (If so whether provision of suitable arrangements to be made according to the Act and the rules there under have been taken care of in the plans? (give details)
10. What materials are used/to be used construct on of :—
- | | | |
|-----|----------|----------------------|
| [A] | Building | (give details) |
| [B] | Roofing | (give details) |

11. Particulars of the drawing submitted alongwith particulars of information submitted according to the requirement of Rule 3 A :—

- (1)
- (2)

Place :

Date :

.....
Signature of the applicant who going to
occupy premises for which plans have been
submitted and permission

ENCLOSURES REQUIRED FOR PERMISSION UNDER FACTORIES ACT

1. Land diversion/Lease deed/Copy of Allotment of Land from DIC/Rent deed
2. Memorandum and Article of Association/partnership deed.
3. Necessary consent/clearance from Pollution Control Board.
4. EM Acknowledgement from DTIC.
5. Details of manufacturing process with flow chart.
6. On site Emergency plan (for factories under hazardous category)
7. List of Chemical used or manufactured and their material safety data sheet.
8. Maps (In blue print)—
 - (a) Site Plan—1:500 (Location of the Factory with surroundings)
 - (b) Plan, Elevation, necessary cross section showing M/C layout, Details of Doors, Window, Ventilation, and emergency exit etc—Scale—1:100.

(Application to be submitted in 4 copies)

CAF-4

Additional particulars required by MP Audyogik Kendra Vikas Nigam (MP AKVN) /District Trade and Industries Center (DTIC) for allotment of land

1. NAME OF THE INDUSTRIAL AREA/GROWTH CENTRE:
2. BREAKUP DETAILS OF THE PROPOSED LAND USE (Sq. mts)

S. No.	Purpose	Proposed built up area	For immediate use	For future use	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. Factory Building
2. Actually occupied by the plant/machinery

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Office and other ancillary buildings				
4.	Open space, garden, lawn or roads.				
5.	Storage of materials/ godowns				
6.	Disposal of effluent				
7.	Experimental research				
8.	Any other structure				
9.	Additional land required for disposal of effluent or solid waste.				

3. LIST OF MACHINERIES (If the list is long please enclose separate sheet)

S. No.	Particulars of machinery	HP
1.		
2.		
3.		

4. IF REQUIRED LAND BELONGS TO REVENUE DEPARTMENT :

- (i) Location of the land
Village:
Teh:
District:
- (ii) Details of the land (Please attach copy of B1 Khasra & Map)
Land required for the Project :
(In acres)
Khasra No.:
- (iii) Status of the land :
Revenue land/Nazul land

Name & Signature of the
Authorised Signatory

(Application to be submitted in duplicate)

LIST OF ENCLOSURES :

1. Copy of the acknowledgement of Entrepreneur Memorandum/IEM or License/any other document, to establish the intention of applicant related to the proposed project, required as per the prevailing rules and laws.
2. Copy of the project report/scheme, with full details of Plant & Machinery/Equipment and requisite constructed area for industrial shed, godowns for products, raw materials, office along with process charts, cost, means of finance etc.
3. Layout plan of the proposed construction justifying the utilization of land and estimation of cost of constructed area/shed.
4. Copy of the Partnership Deed/Memorandum & Articles of Association/Bye laws and Registration Certificate issued by Competent Authority, in support of the constitution of the applicant.
5. In case of partnership firm please give the name and Address of all the partners indicating their shares in the firm. Also attach photostat/attested copies of the partnership deed and Registration certificate under Partnership Act.
6. In case of Company, a copy of Memorandum and Articles of Association of the company, registration certificate under the Companies Act, along with a copy of the resolution passed by the Board of Directors in support of application of allot of land.
7. In case of co-operative society, give registration no. and date along with a copy of the resolution passed by the executive committee in this respect. Also enclose photostat copies of byelaws and registration certificate under Co-operative Societies Act.
8. An authorization letter signed by the competent authority of applicant to enable the authorised signatory for signing the various documents and completing the necessary formalities related to allotment.
9. A time schedule/pert chart for completion of various stages of implementation.
10. Treasury challan/Demand Draft Application fee of Rs. 2000/- in case of Micro/Small and Rs. 10000/- in case of Medium and Large Industries.

Note :—

Application fee should be deposited by challan (for area under DTIC)

Application fee should be deposited by Bank draft in favor of concerned A.K.V.N. (for area under A. K. V. N.).

CAF-5

Additional Particulars required by MP Audyogik Kendra Vikas Nigam
(MP AKVN) for water supply

1. SITE AREA (SQ. MTS.)
As per registered sale deed.
2. PURPOSE :
3. TOTAL BUILTUP AREA :
4. SIZE OF WATER SUPPLY CONNECTION APPLIED
15mm / 20mm / 25mm / 40mm / 50mm / others

5. SIZE OF SEWER CONNECTION APPLIED :
100 mm / 150 mm / 200 mm / others

6. PARTICULARS OF EXISTING WATER CONNECTION :

7. PARTICULARS OF EXISTING SEWERAGE CONNECTION :

List of Enclosures :

- (i) Land allotment documents
(ii) Any information, if necessary to be enclosed additionally

Any other details :

For

Signature

Design

Name

Date :

Place :

(Application to be submitted in duplicate)

CAF-6

**Application for allotment of Water proposed to be drawn from Natural Resources/
River/Stream/Nalla/Govt. Water Resources**

1. Details of Assessment of Water Requirement :—

Serial No.	Particulars of Job	Requirement of Water Per Day in M3	Requirement of Water Per month in MCM	Requirement of Water Per Year in M3
------------	--------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

2. Proposed Location of Source :

- (a) Name of District
(b) Name of Tehsil
(c) Name of Nearest Village
(d) Name of River/Nalla/Stream/Reservoir (enclose index map showing location).

3. How the water is planned to be drawn from the source :

- (A) By industries own arrangement :

(a) By pumping from natural flow of the source :—

Type of Pumps	Capacity in B.H.P.	No.

(b) By Construction of storage reservoir :—

Type of Structure	Length	Storage proposed in MCM

(B) From State Government's Reservoir

4. Whether application for water allotment is submitted to District Level Water Utilization Committee Yes/No

5. Schedule date of commissioning of Industries/Plant/Power House

Note.—The Procedure for Water Allocation by State Government is following :—

- (a) The applicant industry's water demand, is submitted to District Level Water Utilization Committee through concerned Executive Engineer, Water Resources Department of that district to obtain NOC/ recommendation.
- (b) The recommendation of District Level Water Utilization is forwarded to concerned Chief Engineers of the river Basin. Chief Engineer reviews the recommendation as per feasibility and water availability for industrial use and submits the proposal with his recommendation to State Level Water Utilization Committee, chaired by Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh.
- (c) Before consideration of the proposal by State Level Water Utilization Committee, the proposal is reviewed by Industrial Water Utilization Committee headed by Engineer-in-Chief, W. R. D., Bhopal as per State Water Plan, and if found feasible Engineer-in-Chief recommends the proposal for consideration of the State Water Level Water Utilization Committee.
- (d) State Level Water Utilization Committee takes the final decision regarding the allocation of water to the applicant industry based on the merits of the case.

Authorized Signatory

Name

Address

(Application to be submitted in 4 Copies)

CAF-7

Additional particulars required for permission from local bodies for the construction of building

1. SITE AREA (SQ./MTS.)

As per registered sale deed :

2. PURPOSE :

3. TOTAL BUILTUP AREA :

4. Details of Land

(i) Full address :

Survey No./Plot No./

Village/Teh./Distt.

(ii) Whether land is diverted (enclosed details)

5. Approval from Town and Country Planning Department

(If located outside Notified Industrial Area)

List of Enclosures :

(i) Ownership documents

(ii) Original drawing : 4 Blueprint.

(iii) Land diversion documents.

(iv) Approval from Town and Country Planning.

(v) Any other details.

For

Signature

Design : Mg/Dr./Chief Exe./Authorised

Signatory/Occupier/Manager/Strike-out
whichever not applicable)

Name

Date :

Place :

(Application to be submitted in duplicate)

**DECLARATION OF SELF CERTIFICATION TO BE FILLED ALONG WITH
COMMON APPLICATION FROM****Under section 16(2) of Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008
(To be executed on a non-judicial stamp paper of Rs. 100/-)**

I S/o. / D/o. / W/o
 Aged Residing at
 who is the (Designation) of M/s. and
 is the authorized signatory on behalf of the firm/company, do hereby give the following undertaking :—

1. Our firm/company is proposing to set up a project at to manufacture/to provide services.

2. We certify that the particulars furnished in the Common Application Form (Part-A & Part-B) are true, correct and complete to the best of our knowledge and undertake to adhere to the declarations made thereunder. The Firm/ Company shall be made liable for penal action as mentioned under section 18(1) of the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008 if the particulars furnished are found to be false/incorrect or incomplete and on our failure to adhere to the declarations made.

Implementation Level :

3. The Firm/Company hereby undertakes to abide by the conditions specified in each of the clearances and our failure to comply with the requirement/conditions of clearances shall result in withdrawal/cancellation of the clearances and further will make up liable for legal consequences as specified under the respective Acts/rules.

Opration Level :

4. The Firm/Company undertake to comply with all the provisions of applicable Acts/rules/requulations applicable to our project.

5. The Firm/Company shall be liable for any losses to personal or public property caused due to vague, misleading or incorrect self-certification.

(Authorized Signatory)

Name

Place :

Date :

**Office of the Madhya Pradesh Trade Investment Facilitation Corporation Ltd.
Bhopal/District Trade and Industries Centre**

ACKNOWLEDGEMENT

Received CAF No. from M/s in complete shape on dt. for obtaining following clearances for establishment.

S. No.	Clearance	Combined Application From Number	Department/Agency	Application enclosed (YES/NO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Environment Clearance (Consent for Air and Water Pollution)	CAF-1	State Environment Impact Assessment Agency	
2.	Electricity Connection : HT Connection LT Connection	CAF-2(A) & (B)	Concerned Vidyut Vitran Company	
3.	Approval of place and for permission to construct building under the Factories Act	CAF-3	Labour Department	
4.	Land allotment	CAF-4	Concerned District Trade & Industries Centre (DTIC)/ Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (MP AKVN)	
5.	Water Supply	CAF-5	Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (MP AKVN)	
6.	Allotment of Water proposed to be drawn from Natural Resources	CAF-6	Water Resources Department	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Permission from local bodies for the construction of building	CAF-7	Municipal Corporation/Municipality	
8.	Others			
Place :			Name	
Date :			Signature & Seal	
			Nodal Agency	

Annexure-I
[See rule 5(4) and (5)]

Prescribed Time Limit For concerned departments/agencies for disposal of the applications

S. No.	Consent/Clearance	Prescribed Time Limit*
1.	Environment Clearance under the Environment Protection Act, 1986 (No. of 1986)	
	(i) Technical review, Screening and Scoping for finalizing the Terms of Reference (TOR) for conducting Environmental Impact Assessment (EIA/EMP).	60 days
	(ii) Appraisal of EIA/EMP and final approval or disapproval by State level Appraisal Committee (SEAC).	60 days
	(iii) Approval and issue of Prior Environmental Clearance by the State Environmental Impact Assessment Agency (SEIAA)	45 days
2.	Consent for Establishment of Industry under the Air (Prevention & Control of pollution) Act, 1981.	120 days
3.	Consent for Establishment of Industry under Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974	120 days
4.	Sanction of L. T. power connection by MP Vidyut Vitran Company	20 days
5.	Sanction of H. T. power connection by MP Vidyut Vitran Company	30 days
6.	Sanction of Extra H. T. Line	60 days
7.	Approval of place and for permission to construct building under Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948)	90 days
8.	Land Allotment from Industry Department	
	(i) Letter of intent	15 days
	(ii) Letter of allotment	30 days
	(iii) Execution of Lease Deed	30 days
	(iv) Possession of the land	7 days
9.	Consent for Water supply from Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam	7 days
10.	Land belonging to Revenue Department to be allotted by Industry Department	120 days
11.	Recommendation for Allocation of Water to be drawn from Natural Resources:—	
	(a) From District Level Committee	30 days
	(b) Industrial Water Utilization Committee	60 days
	(c) State Level Water Utilization Committee	90 days
12.	Permission from local bodies for the construction of building	30 days

* Time limit shall be applicable after fulfilling the prescribed terms and conditions. The time limit will commence from the date of receipt of the complete application with nodal agency.

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल
पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2010

क्र. 2518-म.प्र.विनिआ-2010.—विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 181 सहपठित धारा 45 (3) (बी) तथा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली हेतु दिनांक 7 सितम्बर, 2009 को अधिसूचित मध्यप्रदेश नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण-1), 2009 में निम्न संशोधन/परिवर्धन करता है:—

“मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में तृतीय संशोधन”

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—1.1 “मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 (तृतीय संशोधन) [एआरजी-31(1) (iii), वर्ष 2010]” कहलायेंगे.

- 1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबंधी अनुज्ञप्ति-प्राप्त क्षेत्रों में प्रयोज्य होंगे.
 - 1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे.
2. परिशिष्ट के खण्ड XV में संशोधन,—

“मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009” को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

XV अति उच्च दाब/उच्च दाब/ निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु पंजीकरण शुल्क.

नवीन अति उच्च दाब/उच्च दाब/ निम्न दाब उपभोक्ता तथा वह अति उच्च दाब/उच्च दाब/ निम्न दाब उपभोक्ता जो अपने प्रदाय बिन्दु को परिवर्तित किया जाना तथा/ अथवा संविदा मांग/संयोजित भार में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित करता है, से निम्न दर्शानुसार पंजीकरण शुल्क, आवेदन-पत्र के साथ वसूली योग्य होगी, पंजीकरण शुल्क को अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब विद्युत् प्रदाय किये जाने पर, आवेदन पत्र की कीमत को घटाकर, समायोजित किया जाएगा. परन्तु ऐसे जमा किये गये शुल्क की राशि को राजसात कर लिया जाएगा यदि उपभोक्ता विद्युत् प्रदाय का लाभ, विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा स्वीकृत भार की दिनांक से 180 दिवस के अन्दर अथवा भार स्वीकृति की निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नहीं प्राप्त करता, जो भी लागू हो, अथवा भार स्वीकृति के उपरान्त अनुरोध को निरस्त कर देता है.

सरल क्रमांक

(1)

उपभोक्ता श्रेणी

(2)

(रुपये प्रति आवेदन)

(3)

1. निम्न दाब उपभोक्ता

(अ) गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) उपभोक्ता जिनके प्राक्कलित भार 500 बॉट तक के हैं.

(1)	(2)	(3)
	(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी	निरंक
	(ii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत (आर.जी.जी.व्ही.वाय)	निरंक
	(iii) उपरोक्त (i) एवं (ii) में सम्मिलित के अतिरिक्त	30
	(ब) अन्य एकल फेज निम्न दाब घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ता	250
	(स) शेष निम्न दाब उपभोक्ता	1500
2	अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ता	10,000

आयोग के आदेशानुसार,

पी. के. चतुर्वेदी
आयोग सचिव.

Bhopal, the 16th September 2010

No. 2518-MPERC-2010.—In exercise of powers conferred by Section 181 read with Section 45(3)(b) and 46 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) Regulations (Revisions-I), 2009, notified on 7th September, 2009:

THIRD AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (RECOVERY OF EXPENSES AND OTHER CHARGES FOR PROVIDING ELECTRIC LINE OR PLANT USED FOR THE PURPOSE OF GIVING SUPPLY) (REVISIONS-I) REGULATIONS, 2009[(RG-31) (1) OF 2009].

1. **Short title and commencement.**—(i) These Regulations may be called the “ Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) (Revision-I) Regulations, 2009 (Third Amendment) [ARG-31 (1) (iii) of 2010]”.

(ii) These Regulations shall come into force with effect from the date of their Notification in the official gazette.

(iii) These Regulations shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

2. Amendment to Point No. XV of Annexure-I,—

In the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) Regulations, (Revisions-I) 2009**, the following shall be substituted in point No. XV of Annexure-I namely :—

XV. Registration fee from EHT/HT/LT consumers.

The following registration fee is recoverable alongwith application form, from a new EHT/HT/LT consumer and also from such existing EHT/HT/LT consumer (who proposes to change his point of supply and/or increase

in the contract demand/connected load. The registration fee shall be adjusted on availing of EHT/HT/LT supply by the consumer after deducting cost of the application form. Such fee, however, shall be forfeited if EHT/HT/LT consumer does not avail supply within 180 days or within the stipulated time as per load sanction, whichever is applicable; or cancels the request after load sanction by the Discom.

S. No. (1)	Consumer Category (2)	(Rs./application) (3)
1	LT Consumers	
	a) BPL Consumers with estimated load upto 500 W	
	(i) SC/ST Category	NIL
	(ii) Under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojna (RGGVY)	NIL
	(iii) Other than those covered in (i) and (ii) above	30
	b) Other single phase LT domestic/non-domestic consumers	250
	c) Rest of LT consumers	1,500
2.	EHT/HT Consumers	10,000

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.